भारतीय रिज़र्व बैंक

----------RESERVE BANK OF INDIA----------

www.rbi.org.in

आरबीआई/2016-17/02

विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 5/02.01.001/2016-17 1 जुलाई 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एसएलबीसी संयोजक बैंक / अग्रणी बैंक

महोदया / महोदय,

मास्टर परिपत्र - अग्रणी बैंक योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट में दी गई सूची के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना पर 30 जून 2016 तक जारी संबंधित दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है।

2. यह मास्टर परिपत्र आरबीआई वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर रखा गया है।

(जोस जे. कट्टूर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,10 वी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग,पोस्ट बॉक्स सं. 10014,मुंबई -400001

Financial Inclusion & Development Dept.,Central Office,10th Floor, Central Office Building,Shahid Bhagat Singh Marg,P.B.No.10014,Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फैक्सः 91-22-22621011/22610943/22610948 ई -मेल : cgmincfidd@rbi.org.in

हिंदी आसान है,इसका प्रयोग बढ़ाइए।

"चेतावनी :रिज़र्व बैंक द्वारा मेल डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

संरचना

1	प्रस्तावना
2	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत मंच
2.1	ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)
2.2	जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी)
2.2.1	जिला परामर्शदात्री समिति का गठन
2.2.2	जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन
2.2.3	जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों की कार्यसूची
2.2.4	एलडीएम की भूमिका
2.2.5	त्रैमासिक आम बैठ़क और शिकायत निवारण
2.2.6	जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक
2.2.7	डीसीसी / डीएलआरसी बैठक - बैठक के वार्षिक कैलेंडर
2.3	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)
2.3.1	एसएलबीसी के गठन
2.3.2	एसएलबीसी बैठक का संचालन
2.3.3	एसएलबीसी बैठक के लिए कार्यसूची (एजेंडा)
2.3.4	बैंकिंग पहुंच
2.3.5	एसएलबीसी – बैठकों के वार्षिक कैलेंडर
2.3.6	एसएलबीसी वेबसाइट - सूचना / डेटा का मानकीकरण
2.3.7	राज्य सरकार से सम्पर्क
2.3.8	क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/सेंसीटाइजेशन कार्यक्रम
3	अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन
3.1	क्रेडिट प्लान तैयार करना
3.2	क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपीएस)
3.3	क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन की निगरानी - एमआईएस
4	अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
5	बैंक-रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रोडमैप
5.1	5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप
6	ऋण - जमा अनुपात
6.1	ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
6.2	सीडी अनुपात पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का कार्यान्वयन
7	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
7.1	बैंक खाते में आधार संख्या जोड़ना - स्पष्टीकरण
8	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण
8.1	बेबाकी (अदेयता - नो ड्यू) प्रमाणपत्र समाप्त करना

1. प्रस्तावना

(i) अग्रणी बैंक की योजना का प्रारंभ प्रो. डी.आर.गाडगिल की अध्यक्षता में सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल (गाडगिल अध्ययन दल) के साथ हुआ है जिसने अक्तूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त अध्ययन दल ने इस तथ्य को इंगित किया कि वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और इनके पास अपेक्षित ग्रामीण उन्मुखता का अभाव है। अत: अध्ययन दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण संरचना विकसित करने के लिए प्लान तथा कार्यक्रम बनाने हेतु 'क्षेत्र दृष्टिकोण' अपनाएं जाने की सिफारिश की।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर श्री एफ.के.एफ. नरीमन की अध्यक्षता में गठित समिति (नरीमन समिति) ने अपनी रिपोर्ट में (नवंबर 1969) क्षेत्र दृष्टिकोण की अभिकल्पना का यह सिफारिश करते हुए समर्थन किया कि सरकारी क्षेत्र बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कतिपय ज़िलों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे एक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करेंगे।

(iii) उपर्युक्त सिफ़ारिशों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों में विभिन्न मंचों के माध्यम से समन्वय लाना है ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को बैंक वित्त के प्रवाह में बढ़ोतरी की जा सकें तथा ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा मिल सके। जिले की गतिविधियों में समन्वयन लाने के लिए एक विशिष्ट बैंक को जिले का अग्रणी बैंक दायित्व सौंपा जाता है। अग्रणी बैंक से अपेक्षित है कि वह ऋण संस्थाओं एवं सरकार के प्रयासों में समन्वयन लाने के लिए नेता की भूमिका अपनाए।

(iv) वित्तीय क्षेत्र में हुए कई सारे परिवर्तनों के मद्देनजर श्रीमती उषा थोरात, भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा 2009 में अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा की गई।

(v) उक्त उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न पणधारियों अर्थात् राज्य सरकार, बैंक, विकास संस्थाएं, शिक्षाविदों, एनजीओ, एमआईएफआई आदि के साथ व्यापक पैमाने पर चर्चाएं कीं और नोट किया कि उक्त योजना शाखा विस्तार, जमाराशियाँ जुटाने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सुधार लाने का मूल उद्देश्य प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उक्त योजना को जारी रखने के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। समिति की सिफारिशों के आधार पर एसएलबीसी संयोजक बैंकों तथा अग्रणी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत मंच

2.1 ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)

बीएलबीसी एक ऐसा मंच है जो एक ओर ऋण संस्थाओं और दूसरी ओर फील्ड स्तरीय विकास एजेंसियों के बीच समन्वयन लाती है। उक्त मंच ब्लॉक क्रेडिट प्लान तैयार करता है और बैंकों के क्रेडिट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं का निराकरण भी करता है। जिले का अग्रणी जिला प्रबंधक ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति का अध्यक्ष होता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों

(डीसीसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) समेत सभी बैंक, ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक के तकनीकी अधिकारी जैसे कृषि, उद्योग एवं सहकारिता के लिए विस्तार अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं। बीएलबीसी बैठकें तिमाही अंतराल पर होती हैं। रिज़र्व बैंक के एलडीओ तथा नाबार्ड के डीडीएम चयनात्मक रूप से बीएलबीसी की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। छमाही अंतराल पर इन बैठकों में पंचायत समिति के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि क्रेडिट प्लानिंग के कार्य में ग्रामीण विकास पर उनके ज्ञान तथा अनुभव को शेयर किया जा सके।

2.2 जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी)

2.2.1 डीसीसी का गठन

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में गतिविधियों के समन्वयन के प्रति बैंकरों तथा सरकारी एजेंसियों / विभागों के लिए जिला स्तर पर सामान्य मंच के रूप में सत्तर के दशक के प्रारंभ में डीसीसी का गठन किया गया था। जिलाधीश डीसीसी बैठकों के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, जिले के सभी वाणिज्यिक बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) सहित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विभिन्न राज्य सरकारी विभाग एवं संबद्ध एजेंसियां डीसीसी के सदस्य होते हैं। अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ) डीसीसी के सदस्य के रूप में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। अग्रणी जिला प्रबंधक डीसीसी बैठकें आयोजित करता है। उन जिलों में जहां एमएसएमई क्लस्टर होते हैं माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान के निदेशक (एमएसएमई-डीआई) एमएसएमई संबंधी मामलों की चर्चा करने के लिए आमंत्रिती के रूप में होते हैं।

2.2.2 डीसीसी बैठकों का आयोजन

i) अग्रणी बैंकों द्वारा जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए।

ii) जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) स्तर पर, विशिष्ट मुद्दों पर गहन कार्य करने हेतु जैसा भी उचित हो, उप समितियां गठित की जाए तथा डीसीसी के विचारार्थ रिपोर्टें प्रस्तुत की जाए।

iii) डीसीसी उन मामलों पर एसएलबीसी को पर्याप्त प्रतिक्रिया दें जिस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करना आवश्यक है ताकि राज्य स्तर पर इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

2.2.3 डीसीसी बैठकों की कार्यसूची

जहां सभी अग्रणी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित जिलों की विशेष समस्याओं को हल करें, तथापि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो सभी जिलों के लिए समान हैं और जिन पर अग्रणी बैंकों को अपने मंच पर निरपवाद रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए, निम्नानुसार हैं :-

i) निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप की प्राप्ति में हुई प्रगति का आवधिक रूप से आकलन और मूल्यांकन हेतु निगरानी तंत्र। डीसीसी बैठकों में वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा भी की जानी चाहिए।

ii) आईटी आधारित वित्तीय समावेशन को रोकने और समर्थ बनाने वाले विशिष्ट मुद्दे

iii) सर्व-समावेशी वृद्धि के लिए बैंकिंग विकास हेतु "सक्षमकों" (इनेबलर्स) को सुविधा प्रदान करना तथा "बाधकों" को हटाने / कम करने के मामले

iv) बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा "क्रेडिट प्लस" कार्यकलापों के प्रति जैसे कि कारोबार प्रबंधन हेतु कौशल और क्षमता-निर्माण प्रदान कराने के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के गठन और आरसेटी जैसी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा की गई पहल की निगरानी

v) वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रयास बढ़ाना

vi) जिला ऋण योजना (डीसीपी) के अंतर्गत बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

vii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना

viii) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता

ix) शैक्षिक ऋण प्रदान करना

x) एसएचजी - बैंक सहलग्नता के अंतर्गत प्रगति

xi) एसएमई वित्तपोषण तथा उसके मार्गावरोध, यदि कोई हो

xii) बैंकों द्वारा समय पर डाटा प्रस्तुत करना

xiii) राहत उपायों की समीक्षा (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में, जहां भी लागू हो)

उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है, परिपूर्ण नहीं। अग्रणी बैंक आवश्यक समझी जानेवाली अन्य किसी कार्यसूची मद को शामिल कर सकते हैं।

2.2.4 एलडीएम की भूमिका

चूंकि अग्रणी बैंक योजना की कारगरता जिलाधीश और एलडीएम की गतिशीलता तथा क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय की सहायक भूमिका पर निर्भर करती है, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के कार्यालय अग्रणी बैंक योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केंद्र बिन्दु होने के कारण उसे उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जाए। उचित स्तर और प्रवृत्ति वाले अधिकारियों को एलडीएम के रूप में तैनात किया जाए। एलडीएम की प्रचलित भूमिका जैसे कि डीसीसी/डीएलआरसी की बैठके,

लंबित मामले आदि के समाधान हेतु डीडीएम/एलडीओ/सरकारी अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित करना, एलडीएम द्वारा विचार करने योग्य नए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i) बैंकिंग पहुँच के लिए रूपरेखा तैयार करना और उसके रोडमैप की निगरानी

ii) जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी

iii) बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र, आरसेटी गठित करने में संबद्ध होना

iv) एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता के कैम्प आयोजित करने में संबद्ध होना

v) एनजीओ/पंचायत राज संस्था (पीआरआई) की सहभागिता के साथ बैंकों और सरकारी अधिकारियों के लिए वार्षिक सुग्राहीकरण कार्यशाला आयोजित करना

vi) तिमाही जागरुकता तथा सार्वजनिक बैठकों में फीडबैक, शिकायत निवारण, आदि की व्यवस्था करना

2.2.5 तिमाही सार्वजनिक बैठक और शिकायत निवारण

अग्रणी जिला प्रबंधक जिले के विभिन्न स्थानों पर रिज़र्व बैंक के एलडीओ, क्षेत्र में स्थित बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वयन से एक तिमाही सार्वजनिक बैठक आयोजित करें ताकि ऐसी बैठकों में आम जनता से संबंधित विभिन्न बैंकिंग नीतियों और विनियमों के बारे में जागरूकता निर्मित हो, जनता से फीडबैक प्राप्त किया जा सके और यथासंभव शिकायत निवारण उपलब्ध हो सके अथवा ऐसे निवारण के लिए उचित तंत्र से संपर्क करने में सुविधा हो।

2.2.6 जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकें

डीएलआरसी की बैठकों की अध्यक्षता जिलाधीश द्वारा की जाती है और इसमें जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के सदस्य उपस्थित रहते हैं। उपर्युक्त के अलावा जनता के प्रतिनिधि अर्थात् स्थानीय एमपी/एमएलए/जिला परिषद प्रमुखों को भी इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अग्रणी बैंक द्वारा तिमाही में कम से कम एक डीएलआरसी बैठक आयोजित की जानी चाहिए। डीएलआरसी बैठकों में अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा फीडबैक प्राप्त करते हुए की जाती है ताकि जिले में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की गति एवं गुणवत्ता का पता किया जा सके। इस कारण गैर अधिकारियों की संबद्धता उपयोगी पायी गई। अग्रणी बैंकों से अपेक्षित है कि वे जहां तक हो सके डीएलआरसी बैठकों में जनता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अत: अग्रणी बैंकों को चाहिए कि वे डीएलआरसी बैठकों की तारीखें जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् एमपी/एमएलए आदि की सुविधा को तरजीह देते हुए निश्चित करें और उन्हें जिले में बैंकों द्वारा किए जानेवाले सभी समारोह में जैसे नयी शाखाएं खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, एसएचजी

ऋण सहबद्धता कार्यक्रम आदि में उन्हें आमंत्रित करें और उन्हें शामिल कर लें। जनता के प्रतिनिधियों के प्रश्नों पर प्रतिकिया देने में उच्चतम प्राथमिकता दी जानी है और इन पर तत्परता से कार्रवाई की जानी है। डीसीसी बैठकों में डीएलआरसी के निर्णयों के अनुपालन पर चर्चा की जानी है।

2.2.7 डीसीसी/डीएलआरसी बैठकें - बैठकों का वार्षिक कैलेंडर

i) डीसीसी और डीएलआरसी विकासात्मक गतिविधियों में बाधक समस्याओं की समीक्षा करने तथा उनका हल ढूंढने के लिए जिला स्तर पर वाणिज्य बैंकों, सरकारी एजेंसियों और जिला स्तर के अन्यों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वयनकारी मंच होते हैं। अत: यह आवश्यक है कि उपर्युक्त बैठकों में सभी सदस्य सहभागी हो और चर्चा में भाग लें। डीसीसी और डीएलआरसी की बैठकों की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि बैठक की तारीख की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने/ सूचना प्राप्त न होने, अन्य इवेंटों की और ये तारीखें एक ही होने, तारीखों की समानता आदि के कारण इन बैठकों में सदस्यों के सहभाग में बाधा आती है; इस प्रकार, उपर्युक्त बैठकें आयोजित करने का मूल उद्देश्य बाधित हो जाता है।

ii) अत: अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी जिलों के लिए कैलेंडर वर्ष के आधार पर बैठकों के अध्यक्षों, रिज़र्व बैंक के एलडीओ और डीएलआरसी के मामले में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से डीसीसी और डीएलआरसी का वार्षिक कार्यक्रम (शेड्यूल) तैयार करें। उक्त वार्षिक कैलेंडर - हर वर्ष, वर्ष के प्रारंभ में ही तैयार किया जाए तथा डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अग्रिम रूप में भावी तारीखें ब्लाक करने हेतु सदस्यों के बीच परिचालित किया जाए और बैठकें कैलेंडर के अनुसार संचालित की जाए। कैलेंडर तैयार करते समय यह देखा जाए कि डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठकें एक ही साथ आयोजित **नहीं** की जाती हैं।

2.3 राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

2.3.1 एसएलबीसी का गठन

i) राज्य के विकास के लिए एक समान आधार पर सभी राज्यों में पर्याप्त समन्वयनकारी तंत्र निर्मित करने के लिए एक शिखर अंतर संस्थागत मंच के रूप में अप्रैल 1977 में राज्य स्तरीय बैंकर समिति स्थापित की गई थी। संयोजक बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)/संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक एसएलबीसी के अध्यक्ष होते हैं। उसमें वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि के प्रतिनिधियों समेत सरकारी विभागों के प्रमुख तथा राज्य में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो एकत्रित होकर नीति के कार्यान्वयन स्तर पर समन्वयन की समस्या को हल करते हैं। यदि कोई विशिष्ट समस्या हो तो, उस पर चर्चा के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न संगठनों जैसे फुटकर व्यापारी, निर्यातक एवं कृषक यूनियन आदि के प्रतिनिधि एसएलबीसी बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में होते हैं। एसएलबीसी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं। एसएलबीसी की बैठकें आयोजित करने का दायित्व राज्य के एसएलबीसी संयोजक बैंक का होता है।

ii) इस बात को मानते हुए कि एसएलबीसी प्राथमिक रूप से राज्य स्तरीय बैंकर समिति के रूप में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है इसलिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) बैठकों के आयोजन पर निदर्शी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2.3.2 एसएलबीसी बैठकों का आयोजन

i) एसएलबीसी बैठकें त्रैमासिक अंतरालों पर नियमित रूप से होनी चाहिए तथा उसकी अध्यक्षता आयोजक बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)/संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक द्वारा की जानी चाहिए तथा एसएलबीसी बैठकों की सह-अध्यक्षता संबंधित राज्य के अपर मुख्य सचिव या विकास आयुक्त द्वारा की जानी चाहिए। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों में उच्च स्तरीय सहभागिता से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों की सार्वजनिक नीति संबंधी मामलों पर प्रभावी और अर्थपूर्ण चर्चा के साथ अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित हो।

ii) मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री तथा राज्य/रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी (उप गवर्नर/ कार्यपालक निदेशक के श्रेणी के) को एसएलबीसी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, राज्य के मुख्यमंत्रियों को कम से कम एक एसएलबीसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

iii) एसएलबीसी की बृहत् सदस्यता को देखते हुए, एसएलबीसी के लिए यह वांछनीय होगा कि वे कृषि, माइक्रो, लघु/मध्यम उद्योगों/उद्यमों, हथकरघा वित्त, निर्यात संवर्धन और वित्तीय समावेशन आदि जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए संचालन (स्टीयरिंग) के लिए उप-समिति/ उप-समितियों का गठन करें। उक्त उप-समितियां इन विशिष्ट कार्यों की गहराई से जांच करें तथा एसएलबीसी के विचारार्थ उपायों/सिफारिशें तैयार करें। ऐसा अपेक्षित है कि वे एसएलबीसी से अधिक बार-बार मिलते रहें। उप-समिति की रचना तथा वित्तीय समावेशन के समीपस्थ/सुसाध्यकारी विचारणीय विषय/विशिष्ट मुद्दे, राज्यों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के आधार पर राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

iv) एसएलबीसी के सचिवालय/कार्यालयों को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाए ताकि एसएलबीसी संयोजक बैंक अपने कार्य कारगर रूप से कर सकें।

v) निम्न स्तर के विभिन्न मंच उन मामलों पर एसएलबीसी को पर्याप्त फीडबैक दें जिस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

vi) विभिन्न संस्थाएं तथा शिक्षाविद ऐसे अनुसंधान और अध्ययन आदि कर रहे हैं जो कृषि और एमएसएमई क्षेत्र के धारणीय विकास के लिए प्रभावकारी हैं। ऐसी अनुसंधान संस्थाओं तथा शिक्षाविदों की संबद्धता अग्रणी बैंक योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में गति लाने हेतु नए विचार लाने में उपयोगी होगी। अतः एसएलबीसी ऐसे शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं का चयन करें और उन्हें समय-समय पर एसएलबीसी की बैठकों में "विशेष अतिथि" के रूप में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करें ताकि वे चर्चा को और सार्थक बना सकें और उन्हें राज्य के लिए उपयुक्त उत्पाद प्रतिपादन हेतु अध्ययन

में सहभागी बनाएं। अन्य "विशेष अतिथियों" को बैठकों में चर्चा की जानेवाली कार्यसूची मदों/मामलों के आधार पर एसएलबीसी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाए।

vii) आनेवाले वर्षों में निम्न आय वाले परिवारों को सुगम ऋण मुहैया कराने में एनजीओ के कार्यकलाप बढ़ने के आसार हैं। कई कार्पोरेट प्रतिष्ठान भी दीर्घकालिक विकास के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनजीओ/कार्पोरेट आवश्यक "क्रेडिट प्लस" सेवाएं प्रदान करते हैं, क्षेत्र में परिचालित ऐसे एनजीओ/कार्पोरेट प्रतिष्ठानों के साथ बैंक की सहलग्नता, समावेशी वृद्धि हेतु बैंक ऋण को वृद्धिगत करने में सहायक हो सकती है। सफल उदाहरणों के किस्सों को एसएलबीसी बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि मॉडेल के रूप में उनका अनुसरण किया जा सके।

2.3.3 एसएलबीसी बैठकों की कार्य सूची

जबकि सभी एसएलबीसी से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करे, तथापि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो सभी राज्यों के लिए समान हैं और जिन पर एसएलबीसी को अपने मंच पर निरपवाद रुप से विचार-विमर्श करना चाहिए, वे निम्नानुसार हैं :

i) वित्तीय समावेशन - निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप की प्राप्ति में हुई प्रगति के आवधिक रूप से आकलन और मूल्यांकन हेतु निगरानी तंत्र। एसएलबीसी बैठकों में एफआईपी के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए।

ii) आईटी आधारित वित्तीय समावेशन को रोकने और समर्थ बनाने वाले विशिष्ट मुद्दे।

iii) समावेशी वृद्धि के लिए बैंकिंग विकास हेतु "सक्षमकों" (इनेबलर्स) को सुविधा प्रदान करना तथा "बाधकों" को हटाने/कम करने के मामले

iv) बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा "क्रेडिट प्लस" कार्यकलापों के लिए की गई पहल की निगरानी जैसे कि कारोबार प्रबंधन हेतु कौशल और क्षमता-निर्माण प्रदान कराने के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और आरसेटी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों का गठन

v) वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रयास बढ़ाना

vi) वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

vii) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के ऋण अभिनियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन

viii) राज्य का ऋण - जमा अनुपात

ix) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना

x) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता

xi) शैक्षिक ऋण प्रदान करना

xii) एसएचजी-बैंक सहलग्नता के अंतर्गत प्रगति

xiii) एमएसएमई क्षेत्र द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करना

xiv) भूमि रिकार्ड तथा वसूली तंत्र को सुधारने हेतु किए गए उपाय

xv. बैंकों द्वारा समय पर डाटा प्रस्तुत करना

xvi) राहत उपायों की समीक्षा (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में जहां भी लागू हो) तथा

xvii) डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों में सुलझाए न गए मामले

उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है, परिपूर्ण नहीं। एसएलबीसी संयोजक बैंक आवश्यक समझी जानेवाली अन्य किसी कार्यसूची मद को शामिल कर सकता है।

2.3.4 बैंकिंग पहुँच

i) पिछले कुछ वर्षों में अग्रणी बैंक योजना का ध्यान बदलकर समावेशी वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन पर आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं बिचौलिओं के प्रयोग से बैंक वहनीय लागत पर आउटरीच, बैंकिंग सेवाओं की मात्रा तथा गहराई में वृद्धि करने में सक्षम हो गए हैं।

ii) एसएलबीसी आयोजक बैंकों/अग्रणी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच के माध्यम से शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें। यह जरूरी नहीं कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं इमारती शाखा के माध्यम से ही प्रदान की जाएं बल्कि वे बीसी सहित आईसीटी आधारित मॉडलों के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्राप्त न करने के लिए आईसीटी कनेक्टिविटी का बहाना नहीं दिया जाना चाहिए।

iii) जहां औपचारिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा पहुँच की जरुरत है वहां सभी केद्रों में बैंकिंग विस्तार सुनिश्चित करने हेतु एसएलबीसी संयोजक बैंक रोड/डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रेरक कानून और व्यवस्था की स्थिति, बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा पर्याप्त सुरक्षा आदि से संबंधित बाधाओं को राज्य सरकारों के पास उठाएं। तथापि, इससे वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत में रूकावट नहीं आनी चाहिए।

2.3.5 एसएलबीसी - बैठकों का वार्षिक कैलेंडर

i) एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों की कारगरता में वृध्दि करने और उनकी कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैठकें आयोजित करने हेतु वर्ष के शुरूआत में ही कार्यक्रम का एक वार्षिक कैलेंडर (कैलेंडर वर्ष आधारित) तैयार करें। कार्यक्रम के कैलेंडर में, एसएलबीसी को आँकड़े प्रस्तुत करने की तथा एसएलबीसी संयोजक द्वारा उसकी स्वीकृति की अंतिम तारीखें स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। यह वार्षिक कैलेंडर सभी संबंधितों को पूर्व सूचना के रूप में परिचालित किया जाए ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की आगामी तारीखें ब्लॉक की जा सकें। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी की बैठकें हर परिस्थिति में कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए। चूककर्ता बैंकों से ब्योरे की प्रतीक्षा किए बिना कार्यसूची भी पहले ही परिचालित की जानी चाहिए। परंतु, एसएलबीसी बैठक में चूककर्ता बैंकों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एसएलबीसी संयोजक बैंक को इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए चूककर्ता बैंक के नियंत्रक कार्यालय को एक पत्र लिखना चाहिए। तथापि, एसएलबीसी संयोजक बैंक समय पर ब्योरा प्रस्तुतीकरण हेतु बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना जारी रखेगा। साथ ही यदि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या अन्य वरिष्ठतम पदाधिकारी किसी असाधारण अवसर पर एसएलबीसी में उपस्थित नहीं हो पाते, तो यदि वे इच्छुक हों तो एक विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की जा सकती है। कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करने में निम्नलिखित स्थूल दिशानिर्देशों का प्रयोग किया जाना चाहिए :

कार्यकलाप	**.. तक पूरा किया जाए (दिनांक)**
एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों और सभी संबंधितों को आँकड़े प्रस्तुत करने और बैठकों की तारीख सूचित करने का नीचे दी हुई तारीखों के अनुसार कैलेंडर तैयार करना	प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी
बैठक की सही तारीख तथा एसएलबीसी को बैंकों द्वारा आँकड़े प्रस्तुत करने संबंधी अनुस्मारक	तिमाही की समाप्ति के पूर्व 15 दिन
एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा जानकारी/ आँकड़े प्राप्त करने की अंतिम तिथि	तिमाही की समाप्ति से 15 दिन
कार्यसूची – बैकग्राउंड पेपर का वितरण	तिमाही की समाप्ति से 20 दिन
बैठक का आयोजन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
सभी स्टेकधारियों को बैठक के कार्यविवरण का प्रेषण	बैठक के आयोजन से 10 दिनों के भीतर
बैठक से उभरे कार्य-बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई	कार्यविवरण प्रेषित करने से 30 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए (अगली बैठक में समीक्षा हेतु)

(ii) वर्ष के प्रारंभ में बैठकों का कैलेंडर तैयार करने का उद्देश्य सभी हितधारकों को इन बैठकों की पर्याप्त नोटिस देना तथा कार्यसूची के कागज़ात के समय पर संकलन एवं प्रेषण को सुनिश्चित करना है। इससे एसएलबीसी संयोजकों को इसमें सहभागी होने वाले बैंकों और सरकारी विभागों द्वारा समय पर डाटा प्रस्तुतीकरण भी सुनिश्चित होता है। इसमें एसएलबीसी संयोजकों के अन्यथा विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारियों से एसएलबीसी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए समय लेने में व्यर्थ जानेवाला समय भी बचता है।

(iii) एसएलबीसी संयोजक बैंकों को वार्षिक कैलेंडरों के सुनिश्चित पालन करने के लाभ समझ लेने चाहिए। अत: एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक कैलेंडर का व्यापक प्रचार करें और सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालयों द्वारा सभी बैठकों के लिए बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्रत्याशित वरिष्ठ पदाधिकारियों की तारीखें ब्लॉक कर ली गई हैं। यदि, तारीखें ब्लॉक करने के बावजूद किसी कारणवश वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ हो तो बैठक कैलेंडर में की गई आयोजना के अनुसार की जानी चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कैलेंडर में निर्धारित अंतिम तारीख तक इन बैठकों में समीक्षार्थ डाटा पहुंच जाना चाहिए और समय पर डाटा प्रस्तुत न करनेवालों से डाटा भेजने में विलंब के कारण स्पष्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए तथा कार्यविवरण में उन्हें अभिलिखित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में कैलेंडर के अनुसार कार्यसूची तैयार करने के लिए निर्धारित तारीखों से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए।

2.3.6 एसएलबीसी वेबसाइट - सूचना/डाटा का मानकीकरण

एसएलबीसी संयोजक बैंकों से एसएलबीसी वेबसाइट बनाए रखना अपेक्षित है जिसमें अग्रणी बैंक योजना एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं संबंधी अनुदेश उपलब्ध हो और जो बैठकों के संचालन तथा राज्यवार/बैंकवार कार्यनिष्पादन से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के इच्छुक आम आदमी की पहुंच में हो। एसएलबीसी वेबसाइट पर उपलब्ध की जानेवाली उक्त सूचना एवं डाटा का मानकीकरण करने की दृष्टि से सूचना और डाटा की निदर्शी सूची अनुबंध II में दी गई है। एसएलबीसी को चाहिए कि वह अपने बैंक की एसएलबीसी वेबसाइटों पर न्यूनतम निर्धारित जानकारी रखने तथा उसे नियमित रूप से, कम से कम तिमाही आधार पर, अद्यतन करने की व्यवस्था करें। बैंक यह नोट करें कि उक्त सूची केवल निदर्शी स्वरूप की है और एसएलबीसी इसमें उस राज्य के संबंध में संगत कोई भी अतिरिक्त सूचना डाल सकते हैं।

2.3.7 राज्य सरकार से संपर्क

एसएलबीसी संयोजक बैंकों से अपेक्षित है कि वे राज्य के सभी बैंकों की गतिविधियों को समन्वित करें, उधार देने, बैंकिंग विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने तथा वित्तीय समावेशन के

लक्ष्य प्राप्त करने में होने वाली परिचालनगत समस्याओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा करें।

2.3.8 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/सेंसीटाइजेशन कार्यक्रम

i) बैंकों तथा आम तौर पर बैंकिंग तथा साथ ही, अग्रणी बैंक योजना की विशिष्ट व्याप्ति एवं भूमिका पर जिलाधीशों और जिला परिषदों के सीईओ को सेंसीटाइज करने की जरुरत है। प्रत्येक राज्य में हर वर्ष अधिमानत: अप्रैल/मई में एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाए। ऐसे सेंसीटाइजेशन इन अधिकारियों के परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) प्रशिक्षण का एक भाग होना चाहिए। साथ ही, जैसे उन्हें किसी जिले में तैनात किया जाए, एसएलबीसी को जिलाधीशों की एसएलबीसी संयोजक कार्यालय में सेंसीटाइजेशन एवं अग्रणी बैंक योजना को समझने के लिए एक एक्सपोजर यात्रा आयोजित करनी चाहिए।

ii) बैंकों के परिचालन स्तर के स्टाफ और अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध सरकारी एजेंसियों के स्टाफ के लिए अद्यतन गतिविधियों और उभरते अवसरों की जानकारी रखना जरुरी है। स्टाफ सेंसीटाइजेशन/प्रशिक्षण/सेमीनार, आदि आवधिक अंतरालों पर सतत चलाते रहने की जरुरत है।

3. अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन

3.1 ऋण योजना (क्रेडिट प्लान) तैयार करना

अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में आयोजना (प्लानिंग) की महत्वपूर्ण भूमिका है और विकास के लिए विद्यमान क्षमता का पता लगाने (मैपिंग) के लिए नीचे से ऊपर (बॉटम-अप) दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत प्लानिंग की शुरुआत विभिन्न सेक्टरों के लिए अनुमानित ब्लॉकवार/गतिविधिवार क्षमता की पहचान के साथ होती है।

3.2 क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपी)

i) क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपी) बैंक ऋण के माध्यम से विकास की विद्यमान संभावना क्षमता का पता लगाने के मूल उद्देश्य के साथ क्रेडिट प्लानिंग को विकेंद्रित करने के प्रति उठाया गया एक कदम है। पीएलपी में दीर्घावधिक भौतिक क्षमता, बुनियादी संरचना समर्थन की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं तथा सरकार की नीतियों / कार्यक्रमों आदि को ध्यान में रखा जाता है।

ii) एलडीएम द्वारा हर वर्ष जून के दौरान आयोजित पीएलपी-पूर्व बैठक में बैंकों, सरकारी एजेंसियों, आदि को उपस्थित रहना है जिसमें क्रेडिट क्षमता (सेक्टरवार/गतिविधिवार) संबंधी चिंताओं पर उनके विचार व्यक्त किए जाने तथा पिछले एक वर्ष में जिले की प्रमुख वित्तीय तथा सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाए एवं पीएलपी में समावेशन हेतु प्राथमिकताएं निश्चित की जाए। इस बैठक में, नाबार्ड के डीडीएम आगामी वर्ष का पीएलपी तैयार करने हेतु सूचना संबंधी प्रमुख आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेगा। आगामी वर्ष का पीएलपी तैयार

करने का कार्य हर वर्ष अगस्त तक पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार इसे पीएलपी अनुमानों में विभाजित (फैक्टर) कर सकें।

iii) जिला क्रेडिट प्लान तैयार करने की कार्यविधि निम्नानुसार है:-

क) वाणिज्यिक बैंकों के नियंत्रक कार्यालय और आरआरबी तथा डीसीसीबी/एलडीबी का प्रधान कार्यालय अपनी सभी शाखाओं को उनके संबंधित शाखा प्रबंधकों द्वारा शाखा क्रेडिट प्लान (बीसीपी) तैयार करने के लिए स्वीकार की गई ब्लॉकवार/गतिविधिवार संभावना परिचालित करेंगे। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शाखाओं द्वारा शाखा/ब्लॉक प्लान समय पर पूरे किए जाते हैं, ताकि क्रेडिट प्लान समय पर परिचालन में आ सके।

ख) हर ब्लॉक के लिए एक विशेष ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति आयोजित की जाएगी जहां शाखा क्रेडिट प्लान पर चर्चा की जाएगी और इन्हें ब्लॉक क्रेडिट प्लान बनाने के लिए जोड़ दिया जाएगा। डीडीएम और एलडीएम यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्लॉक क्रेडिट प्लान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं संबंधी संभावनाओं समेत पहचानी गई गतिविधिवार संभावनाओं के अनुरूप है, बीएलबीसी के प्लान को अंतिम रूप देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

ग) एलडीएम द्वारा जिला क्रेडिट प्लान बनाने के लिए जिले के सभी ब्लॉक क्रेडिट प्लानों को जोड़ लिया जाएगा। उक्त प्लान जिले की ऋण जरूरतों का विश्लेषणात्मक निर्धारण इंगित करता है जिसे जिले में कार्यरत सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोजित किया जाएगा और निधियों की कुल मात्रा नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में निश्चित की जानी है। बैंकों के आंचलिक/नियंत्रक कार्यालय वर्ष के लिए अपने व्यवसाय प्लान को अंतिम रूप देते समय डीसीपी में की गई प्रतिबद्धताओं को हिसाब में लेंगे जो कि कार्यनिष्पादन बजटों को अंतिम रूप देने से काफ़ी पहले तैयार रखा जाना चाहिए।

घ) अग्रणी जिला प्रबंधक जिला क्रेडिट प्लान अंतिम स्वीकरण/अनुमोदन के लिए डीसीसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सभी जिला क्रेडिट प्लान अंतत: राज्य स्तरीय क्रेडिट प्लान में जोड़ दिए जाएंगे जो एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा तैयार किया जाएगा और हर वर्ष अप्रैल की 1 तारीख तक प्रक्षेपित किया जाएगा।

3.3 क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन की निगरानी

क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन समीक्षा की नीचे दर्शाए गए अनुसार अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत निर्मित विभिन्न मंचों पर की जाएगी :

ब्लॉक स्तर पर	ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)
जिला स्तर पर	जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी)
राज्य स्तर पर	राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

अग्रणी बैंक योजना की रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआईएस)

i) वार्षिक क्रेडिट प्लान (एसीपी) पर डाटा, राज्य में ऋण प्रवाह की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। एसीपी फार्मेटों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर संशोधित रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुरुप बनाने के लिए संशोधित किया गया है। तदनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए एसीपी तैयार करनी होगी जिसमें कृषि, माइक्रो और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक मूलभूत संरचना और नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य का समावेश होगा। साथ ही (i) कृषि ऋण, (ii) कृषि मूलभूत संरचना और (iii) अधीनस्थ गतिविधियों को शामिल करने के लिए कृषि को पुन: परिभाषित किया गया है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत (i) माइक्रो उद्यम, (ii) लघु उद्यम और (iii) मध्यम उद्यम, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र (केवीआई) तथा एमएसएमई को अन्य वित्त का समावेश होगा। इस तरह वर्तमान में एसीपी लक्ष्य हेतु विवरण एलबीएस-एमआईएस-I. (अनुबंध IV) है, संवितरण और बकाया हेतु विवरण एलबीएस-एमआईएस-II (अनुबंध V) है तथा एसीपी लक्ष्य की तुलना में एसीपी उपलब्धि एलबीएस-एमआईएस-III (अनुबंध VI) है। अग्रणी बैंकों/एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष 2016-17 से निर्धारित फार्मेटों के अनुसार बैंक समूहवार एलबीएस-एमआईएस-I, II और III विवरण तैयार करें तथा सभी डीसीसी और एसएलबीसी बैठकों में अर्थपूर्ण समीक्षा हेतु इन विवरणों को प्रस्तुत करें।

(ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अखिल भारतीय डाटा की निरंतरता एवं सत्यता बनाए रखने तथा डाटा की अर्थपूर्ण समीक्षा/विश्लेषण कर पाने की दृष्टि से एसीपी और एफआईपी डाटा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों एवं डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों को डीसीसी/एसएलबीसी बैठकों के समक्ष रखते समय तथा हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करते समय अलग-अलग समूहबद्ध किया जाना चाहिए। बैंक समूहवार स्थिति जानने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को आगे सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समूहबद्ध किया जाना चाहिए।

4. अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना

i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1969 से अग्रणी बैंक योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक जिले में नामित बैंकों को अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है जिसमें इस प्रयोजन के लिए बनाई गई विस्तृत कार्यविधि अपनाई जाती है। 30 जून 2016 को देश के 673 ज़िलों में 25 सरकारी क्षेत्र बैंकों और एक निजी क्षेत्र बैंक को अग्रणी बैंक दायित्व सौंपा गया है।

ii) राज्य/संघशासित क्षेत्र स्तर पर एक शिखर स्तरीय मंच के रूप में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं और सरकारी विभागों की गतिविधियों का समन्वयन करती है। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को एसएलबीसी संयोजकत्व का दायित्व दिया गया है। 30 जून 2016 को 29 राज्यों और 7 संघशासित क्षेत्रों का एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजकत्व 16 सरकारी क्षेत्र बैंकों और एक निजी क्षेत्र बैंक को सौंप दिया गया है। राज्यवार एसएलबीसी संयोजक बैंकों और जिलावार अग्रणी बैंकों की सूची अनुबंध I में दी गई है।

iii) समूचे देश को अग्रणी बैंक योजना की परिधि में लाने हेतु महानगरीय क्षेत्रों के जिलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया गया।

5. बैंकरहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए रोडमैप

i) देश के बैंकरहित गांवों में द्वार तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है। नवंबर 2009 में चरण-I के अंतर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए रोडमैप तैयार करने के दिशानिर्देश जारी किए गए। चरण-I को मार्च 2012 तक सफलतापूर्वक लागू करने के बाद जून 2012 में 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी रोडमैप लागू किया गया।

(ii) पीएमजेडीवाई के निरंतर कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पीएमजेडीवाई के अनुसरण में 2000 से कम आबादी वाले बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया (चरण II) पहले निर्धारित मार्च 2016 के बजाए 14 अगस्त 2015 तक पूर्ण करें।

(iii) 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के रोडमैप के अंतर्गत एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 2000 से कम आबादी वाले बैंकरहित गांवों को शामिल करने हेतु बने रोडमैप की प्रगति की निगरानी करें और अगस्त 2015 की निर्धारित समय-सीमा तक काम पूर्ण करने को सुनिश्चित करें। उपर्युक्त रोडमैप के अंतर्गत बैंकों द्वारा की गई प्रगति (हर जिले में बैंकवार) की तिमाही रिपोर्ट एसएलबीसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुबंध III में दिए गए फार्मेट में तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भेज देनी चाहिए।

5.1 5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप

2000 से अधिक और 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए रोडमैप की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सेवाओं का कवरेज बीसी मॉडल के संबंध में विषम है तथा बीसी के प्रति शाखाओं का अनुपात बहुत कम है। बैंकिंग की पैंठ और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए इमारती शाखाएं एक अत्यावश्यक घटक है। अतः यह निर्णय किया गया है कि 5000 से अधिक की आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखारहित गांवों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे बैंक गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और बीसी आउटलेट को समय पर सहायता देने में भी सक्षम बनेंगे जिससे बीसी के माध्यम से

उपलब्ध की जा रही सेवाओं को जारी रखते हुए उन्हें मजबूती प्रदान की जा सकेगी और बीसी के परिचालनों का बारीकी से पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तदनुसार, एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने राज्य में 5000 से अधिक की आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखारहित गांव अभिनिर्धारित करें। ऐसे अभिनिर्धारित गांव अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को शाखा खोलने हेतु आवंटित किए जाएंगे। इस रोडमैप के अंतर्गत बैंक शाखा खोलने का कार्य 31 मार्च 2017 तक पूरा किया जाना चाहिए।

6. ऋण-जमा अनुपात

6.1 ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंकों को अपनी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर अलग से 60 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है। जहां उक्त अनुपात अलग-अलग शाखावार, जिलावार अथवा क्षेत्रवार रखना आवश्यक नहीं है, वहां बैंकों को किसी भी बात के होते हुए भी विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपात में व्यापक असमता से बचना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऋण विनियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन कम हो सके। आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव, क्रेडिट को खपा लेने की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न क्षमता, आदि जैसे कारणों के परिणामस्वरूप कतिपय जिलों में क्रेडिट वितरण अत्यल्प रहा है। बैंक ऐसे क्षेत्रों की अपनी शाखाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें और क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अग्रणी बैंक जिले की अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा डीसीसी मंचों पर उक्त समस्या के सभी पहलुओं पर चर्चा करें।

6.2 ऋण-जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन

i) भारत सरकार ने राज्यों/क्षेत्रों में न्यून ऋण-जमा (सीडी) अनुपात की समस्या के स्वरूप और मात्रा को देखने तथा इस समस्या के हल का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। विशेषज्ञ दल ने न्यून ऋण-जमा अनुपात की समस्याओं एवं कारणों की जांच की। सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बैंकों के ऋण-जमा अनुपात की भिन्न स्तरों पर निगरानी की जानी चाहिए -

संस्था / स्तर	**संकेतक**
प्रधान कार्यालय में अलग-अलग बैंक	सीयू + आरआईडीएफ
राज्य स्तर (एसएलबीसी)	सीयू + आरआईडीएफ
जिला स्तर	सीएस

जहां :

सीयू = उपयोगिता के स्थान के अनुसार क्रेडिट

सीएस = मंजूरी के स्थान के अनुसार क्रेडिट

आरआईडीएफ = आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त कुल संसाधन

साथ ही बैंकों को सूचित किया जाता है कि :

- ऋण-जमा अनुपात की निगरानी के लिए 40 प्रतिशत से कम के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों में डीसीसी की विशेष उप समितियां (एसएससी) गठित की जाएं,
- 40 और 60 के बीच के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों की निगरानी डीसीसी द्वारा वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत की जाएगी, और
- 20 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिले का विशेष तौर से उपचार किए जाने की जरुरत है।

ii) ऋण-जमा अनुपात की निगरानी करने और ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने, निगरानी योग्य कार्रवाई योजना (एमएपी) बनाने के लिए 40 से कम ऋण-जमा डी अनुपात वाले जिलों में डीसीसी की विशेष उप समिति (एसएससी) गठित की जानी चाहिए। अग्रणी जिला प्रबंधक उक्त एसएससी संयोजक के रूप में पदनामित होगा जिसमें उक्त क्षेत्र में कार्यरत बैंकों के जिला समन्वयनकर्ताओं के अलावा रिज़र्व बैंक के एलडीओ, नाबार्ड के डीडीएम, जिला आयोजना अधिकारी अथवा जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लेने का विधिवत अधिकार प्राप्त जिलाधीश (कलक्टर) का प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विशेष उप समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :

- विशेष उप समिति (एसएससी) अपने जिलों में ऋण-जमा अनुपात में स्वस्थापित क्रमिक आधार पर सुधार लाने के लिए निगरानी योग्य कार्रवाई योजना (एमएपी) बनाएगी।
- इस प्रयोजन के लिए स्थापित होने के तुरंत बाद एसएसी एक विशेष बैठक करेगी तथा आधार स्तरीय विशेष मानदंडों के आधार पर अपने लिए ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए प्रारंभ में चालू वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगी। वह इसी बैठक में ऋण-जमा अनुपात को वार्षिक वृद्धि द्वारा 60 से पार ले लाने के लिए एक समयावधि निश्चित करेगी।
- इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के परिणामस्वरूप एसएससी द्वारा स्व-स्थापित लक्ष्य एवं समयावधि को अनुमोदन के लिए डीसीसी के समक्ष रखा जाएगा।
- कार्यान्वयन के लिए प्लान हाथ में लेगी और उसकी दो महीनों में एक बार कठोर निगरानी करेगी।
- डीसीसी को और उनके माध्यम से एसएलबीसी के संयोजक को तिमाही आधार पर प्रगति की रिपोर्ट देगी।

- निगरानी योग्य प्लान (एमएपी) के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में डीसीसी से प्राप्त फीडबैक के आधार पर समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे चर्चा / सूचना के लिए एसएलबीसी बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा।

iii) जहां तक 20 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों का संबंध है, ये आम तौर पर पहाड़ी, मरुस्थलों, दुर्गम भूभागों और/या ऐसे स्थानों पर होते हैं जो मात्र प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर होनेवाले तथा/या खराब कानून एवं सुव्यवस्था तंत्र विशेषता वाले होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग प्रणाली और राज्य सरकार एक विशेष सोद्देश्यपूर्ण तरीके से इकट्ठे न हो, पारंपरिक पद्धतियां सफल नहीं हो पाएंगी।

iv) जहां इन जिलों में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन का ढ़ांचा 40 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों के समान होगा (अर्थात् एसएससी का गठन आदि) वहीं ध्यान (फोकस) का प्रमुख केंद्र और प्रयासों का स्तर काफ़ी उच्चतर मात्रा का होना चाहिए।
इसके लिए,

- ऐसे सभी जिलों को विशेष श्रेणी में रखना होगा।
- उसके बाद उनके ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने का दायित्व बैंकों एवं राज्य सरकार द्वारा उठाया जाए तथा जिले को जिला प्रशासन एवं अग्रणी बैंक द्वारा संयुक्त रूप में 'अपनाया' जाना चाहिए।
- जहां बैंक क्रेडिट वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे वहीं राज्य सरकार द्वारा बैंकों के लिए उधार देने तथा अपनी देय राशियों की वसूली के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित कर समर्थन देने के साथ-साथ चयनित ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के निर्माण संबंधी अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। ऊपर रेखित सहयोग पूर्ण ढांचे के चलते दल का अभिमत था कि ऋण-जमा अनुपात में सोद्देश्यपूर्ण सुधार लाना संभव है।
- विशेष श्रेणी के जिलों की प्रगति पर जिला स्तर पर निगरानी रखी जाएगी और संबंधित बैंकों के कार्पोरेट कार्यालयों को वह रिपोर्ट की जाएगी।
- बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऐसे जिलों के ऋण-जमा अनुपात पर विशेष ध्यान देंगे।

7. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

भारत सरकार ने चुनिंदा जिलों में जनवरी 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत (डीबीटी) को लागू किया है। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को डीबीटी को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकारियों के साथ समन्वयन बनाए रखने के लिए सूचित किया गया था। वित्तीय समावेशन / प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के

कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में एसएलबीसी बैठकों में डीबीटी के कार्यान्वयन की स्थिति को एक नियमित कार्यसूची मद के रूप में शामिल करने के लिए सूचित किया है। डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए परिलब्धि के रूप में हर पात्र व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही, आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से द्वार तक वितरण किए जाने के लिए देशभर के सभी गांवों में या तो इमारती शाखाओं अथवा शाखारहित माध्यम से बैंकिंग आउटलेट होना जरुरी है। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे :-

- सभी डीबीटी जिलों में खाते खोलने तथा उनमें आधार संख्या जोड़ने का कार्य पूरा करें।
- लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने में होनेवाली प्रगति की बारीकी से निगरानी करें।
- लाभार्थियों को आधार संख्या जोड़ने के अनुरोध के लिए पावती देने और आधार संख्या जोड़े जाने की पुष्टि भेजने की एक प्रणाली स्थापित करें।
- जिला स्तर पर संबंधित राज्य सरकारी विभाग के साथ डीबीटी कार्यान्वयन समन्वयन समिति बनाएं तथा बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने के कार्य की समीक्षा करें।
- सुनिश्चित करें कि कार्य पर लगाए गए व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के जिला और ग्रामवार नाम तथा अन्य ब्यौरे / बैंक द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाएं एसएलबीसी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।
- बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए हर बैंक में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें तथा हर जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी नामित करें।

7.1 बैंक खाते में आधार संख्या जोड़ना- स्पष्टीकरण

आधार कार्ड के उपयोग पर माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2015 तथा 15 अक्तूबर 2015 (ड्ब्ल्यू.पी. (सी) सं. 2012 का 494) के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार कार्ड का उपयोग तथा बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा यह अनिवार्य नहीं है।

8. सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए)

i) ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में नियोजनबद्ध एवं सही तरीके से विकास करने के लिए अप्रैल 1989 में शुरू किया गया सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू था। एसएए के अंतर्गत ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हर बैंक शाखा 15 से 25 गांवों में सेवा देने के लिए निर्दिष्ट की गई थी और उक्त शाखा अपने सेवा क्षेत्र की बैंक ऋण जरुरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी। एसएए का मुख्य उद्देश्य उत्पादक उधार

बढ़ाना तथा बैंक ऋण, उत्पादन, उत्पादकता में प्रभावी सहबद्धता एवं आय स्तरों में बढोतरी लाना था। एसएए योजना की समय समय पर समीक्षा की गई और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें यथोचित परिवर्तन किए गए।

ii) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की दिसंबर 2004 में समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि एसएए के सकारात्मक पहलुओं जैसे ऋण आयोजना और ऋण पर्वेअन्स की निगरानी को बनाए रखने के साथ योजना के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त किए जाएं। तदनुसार, सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उधार देने को छोड़कर एसएए के अंतर्गत बैंकों की ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के बीच गांवों का आवंटन लागू नहीं था। इस प्रकार जहां वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी भी ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र में ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं उधारकर्ता को अपनी ऋण जरूरतों के लिए किसी भी शाखा से संपर्क करने का विकल्प प्राप्त है।

8.1 बेबाकी (अदेयता - नो ड्यू) प्रमाणपत्र समाप्त करना

विशेषत: ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में झंझट रहित ऋण सुनिश्चित करने हेतु, एवं बहुविध वित्तपोषण से बचने हेतु बैंकों के पास विविध तकनीकी एवं अन्य तरीकों की उपलब्धता के मद्देनजर बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित, यदि योजना में अन्यथा उल्लेख न हो, सभी प्रकार के ऋणों चाहे उसमें निहित राशि कुछ भी क्यों न हो, के लिए वैयक्तिक ऋणकर्ताओं (एसएचजी और जेएलजी सहित) से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्राप्त न करें। बैंकों को, ऋण मूल्यांकन के एक भाग के रूप में 'अदेयता प्रमाणपत्र' से इतर समुचित सावधानी (ड्यू डीलिजेंस) के वैकल्पिक ढांचे का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से एक या अधिक समाविष्ट हो सकता है:

- ऋण सूचना कंपनियों के माध्यम से ऋण के पूर्व इतिहास की जांच
- ऋणकर्ता से स्व-घोषणापत्र या शपथ-पत्र
- सीईआरएसएआई पंजीकरण
- समकक्ष निगरानी
- ऋणदाताओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान
- सूचना की जांच पड़ताल (अपने आप अंतिम समय सीमा के साथ अन्य उधारकर्ताओं को लिखना)

अनुबंध I

राज्यवार एसएलबीसी संयोजक बैंक और जिला-वार अग्रणी बैंकों की सूची

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	एसएलबीसी संयोजक बैंक	जिला	जिला अग्रणी बैंक
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र बैंक	1. अनंतपुर	सिंडिकेट बैंक
			2. चित्तूर	इंडियन बैंक
			3. पूर्वी गोदावरी	आंध्र बैंक
			4. गुंटूर	आंध्र बैंक
			5. कडप्पा	सिंडिकेट बैंक
			6. कृष्णा	इंडियन बैंक
			7. कुर्नूल	सिंडिकेट बैंक
			8. नेल्लोर	सिंडिकेट बैंक
			9. प्रकाशम	सिंडिकेट बैंक
			10. श्रीकाकुलम	आंध्र बैंक
			11. विशाखापट्टनम	भारतीय स्टेट बैंक
			12. विजयनगरम	भारतीय स्टेट बैंक
			13. पश्चिमी गोदावरी	आंध्र बैंक
2	अरुणाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	1. अनजाव	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चांगलांग	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दिबांग घाटी	भारतीय स्टेट बैंक
			4. पूर्वी कामेंग	भारतीय स्टेट बैंक
			5. पूर्वी सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. कुरुग कुमाय	भारतीय स्टेट बैंक
			7. लोहित	भारतीय स्टेट बैंक
			8. लोगंडिंग	भारतीय स्टेट बैंक
			9. निचली दिबांग घाटी	भारतीय स्टेट बैंक
			10. निचली सुबानसिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			11. पापुम पुरे	भारतीय स्टेट बैंक
			12. तवांग	भारतीय स्टेट बैंक
			13. तिरप	भारतीय स्टेट बैंक
			14. ऊपरी सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			15. ऊपरी सुबनसिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			16. पश्चिम कामेंग	भारतीय स्टेट बैंक

			17. पश्चिम सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
3	असम	भारतीय स्टेट बैंक	1. बक्सा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. बरपेटा	यूको बैंक
			3. बोंगाईगांव	भारतीय स्टेट बैंक
			4. कछार	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. चिरांग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. दारांग	यूको बैंक
			7. धेमाजी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			8. धुबरी	यूको बैंक
			9. डिब्रुगढ़	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			10. गोलपारा	यूको बैंक
			11. गोलाघाट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			12. हलाकांडी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			13. जोरहाट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			14. कामरूप	यूको बैंक
			15. कामरूप मेट्रो	यूको बैंक
			16. कार्बी आंगलोंग	भारतीय स्टेट बैंक
			17. करीमगंज	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			18. कोकराझार	यूको बैंक
			19. लखीमपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			20. मोरीगांव	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			21. नागांव	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			22. नलबाड़ी	यूको बैंक
			23. उत्तरी कछार हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			24. शिवसागर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			25. सोनितपुर	यूको बैंक
			26. तिनसुकिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			27. उदलगुड़ी	भारतीय स्टेट बैंक
4	बिहार	भारतीय स्टेट बैंक	1. अररिया	भारतीय स्टेट बैंक
			2. अरवल	पंजाब नेशनल बैंक
			3. औरंगाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			4. बांका	यूको बैंक
			5. बेगूसराय	यूको बैंक

			6. भबुआ (कैमूर)	पंजाब नेशनल बैंक
			7. भागलपुर	यूको बैंक
			8. भोजपुर (आरा)	पंजाब नेशनल बैंक
			9. बक्सर	पंजाब नेशनल बैंक
			10. दरभंगा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			11. पूर्वी चम्पारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			12. गया	पंजाब नेशनल बैंक
			13. गोपालगंज	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			14. जमूई	भारतीय स्टेट बैंक
			15. जहानाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			16. कटिहार	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			17. खगड़िया	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			18. किशनगंज	भारतीय स्टेट बैंक
			19. लखीसराय	पंजाब नेशनल बैंक
			20. मधेपुरा	भारतीय स्टेट बैंक
			21. मधुबनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			22. मुंगेर	यूको बैंक
			23. मुजफ्फरपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			24. नालंदा	पंजाब नेशनल बैंक
			25. नवादा	पंजाब नेशनल बैंक
			26. पटना	पंजाब नेशनल बैंक
			27. पूर्णिया (पूर्णिया)	भारतीय स्टेट बैंक
			28. रोहतास (सासाराम)	पंजाब नेशनल बैंक
			29. सहरसा	भारतीय स्टेट बैंक
			30. समस्तीपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			31. सारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			32. शेखपुरा	केनरा बैंक
			33. शिवहर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			34. सीतामढ़ी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			35. सिवान	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			36. सुपौल	भारतीय स्टेट बैंक
			37. वैशाली	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			38. पश्चिमी चम्पारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
5	छत्तीसगढ़	भारतीय स्टेट बैंक	1. बालोद	देना बैंक
			2. बालोदा बाज़ार	भारतीय स्टेट बैंक

			3. बलरामपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. बस्तर (जगदलपुर)	भारतीय स्टेट बैंक
			5. बेमेतरा	भारतीय स्टेट बैंक
			6. बीजापुर	भारतीय स्टेट बैंक
			7. बिलासपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			8. चंपा (जंगजीर)	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दंतेवाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			10. धमतरी	देना बैंक
			11. दुर्ग	देना बैंक
			12. गरियाबंद	देना बैंक
			13. जशपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			14. कांकेर	भारतीय स्टेट बैंक
			15. कबीरधाम	भारतीय स्टेट बैंक
			16. कोरबा	भारतीय स्टेट बैंक
			17. कोरिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			18. कोंडागाँव	भारतीय स्टेट बैंक
			19. महासमुंद	देना बैंक
			20. मुंगेली	भारतीय स्टेट बैंक
			21. नारायणपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			22. रायगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			23. रायपुर	देना बैंक
			24. राजनंदगांव	देना बैंक
			25. सरगुजा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			26. सुकमा	भारतीय स्टेट बैंक
			27. सूरजपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6	गोवा	भारतीय स्टेट बैंक	1. नॉर्थ गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. साउथ गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
7	गुजरात	देना बैंक	1. अहमदाबाद	देना बैंक
			2. अमरेली	भारतीय स्टेट बैंक
			3. आनंद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. अरावली	देना बैंक
			5. बनासकांठा	देना बैंक
			6. बड़ौदा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			7. भरूच	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. भावनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			9. बातोद	देना बैंक

			10. छोटा उदयपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			11. दाहोद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			12. डांग	बैंक ऑफ बड़ौदा
			13. देवभुमी द्वारका	देना बैंक
			14. गांधीनगर	देना बैंक
			15. गीर सोमनाथ	भारतीय स्टेट बैंक
			16. गोधरा (पंचमहल)	बैंक ऑफ बड़ौदा
			17. जामनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			18. जूनागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			19. खेडा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			20. कच्छ (भुज)	देना बैंक
			21. महिसागर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			22. मेहसाणा	देना बैंक
			23. मोरबी	भारतीय स्टेट बैंक
			24. नर्मदा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			25. नवसारी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			26. पाटण	देना बैंक
			27. पोरबंदर	भारतीय स्टेट बैंक
			28. राजकोट	भारतीय स्टेट बैंक
			29. साबरकांटा	देना बैंक
			30. सूरत	बैंक ऑफ बड़ौदा
			31. सुरेन्द्रनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			32. तापी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			33. वलसाड़	बैंक ऑफ बड़ौदा
8	हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक	1. अंबाला	पंजाब नेशनल बैंक
			2. भिवानी	पंजाब नेशनल बैंक
			3. फरिदाबाद	सिंडिकेट बैंक
			4. फतेहबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			5. गुड़गांव	सिंडिकेट बैंक
			6. हिसार	पंजाब नेशनल बैंक
			7. झज्जर	पंजाब नेशनल बैंक
			8. जींद	पंजाब नेशनल बैंक
			9. कैथल	पंजाब नेशनल बैंक
			10. कर्नाल	पंजाब नेशनल बैंक
			11. कुरूक्षेत्र	पंजाब नेशनल बैंक
			12. महेन्द्रगढ़	पंजाब नेशनल बैंक

			13. मेवात	सिंडिकेट बैंक
			14. पलवल	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स
			15. पंचकुला	पंजाब नेशनल बैंक
			16. पानीपत	पंजाब नेशनल बैंक
			17. रेवाड़ी	पंजाब नेशनल बैंक
			18. रोहतक	पंजाब नेशनल बैंक
			19. सिरसा	पंजाब नेशनल बैंक
			20. सोनीपत	पंजाब नेशनल बैंक
			21. यमुनानगर	पंजाब नेशनल बैंक
9	हिमाचल प्रदेश	यूको बैंक	1. बिलासपुर	यूको बैंक
			2. चंबा	भारतीय स्टेट बैंक
			3. हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			4. कांगड़ा (धर्मशाला)	पंजाब नेशनल बैंक
			5. किन्नोर (पेव)	पंजाब नेशनल बैंक
			6. कुल्लु	पंजाब नेशनल बैंक
			7. लाहौल और स्पीति (केल्यांग)	भारतीय स्टेट बैंक
			8. मंड़ी	पंजाब नेशनल बैंक
			9. शिमला	यूको बैंक
			10. सिरमौर	यूको बैंक
			11. सोलन	यूको बैंक
			12. ऊना	पंजाब नेशनल बैंक
10	जम्मू और कश्मीर	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.	1. अनंतनाग	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			2. बंडीपोरा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			3. बडगाम	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			4. बारामुल्ला	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			5. दोडा	भारतीय स्टेट बैंक
			6. गंडेरबल	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			7. जम्मू	भारतीय स्टेट बैंक
			8. कारगील	भारतीय स्टेट बैंक

			9. कठुआ	भारतीय स्टेट बैंक
			10. किश्तवाड़	भारतीय स्टेट बैंक
			11. कुलगाम	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			12. कूपवाड़ा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			13. लडाख (लेह)	भारतीय स्टेट बैंक
			14. पूंछ	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			15. पुलवामा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			16. राज़ौरी	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			17. रामबन	भारतीय स्टेट बैंक
			18. रियासी	भारतीय स्टेट बैंक
			19. सांबा	भारतीय स्टेट बैंक
			20. शोपियां	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			21. श्रीनगर	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			22. उधमपुर	भारतीय स्टेट बैंक
11	झारखंड	बैंक ऑफ इंडिया	1. बोकारो	बैंक ऑफ इंडिया
			2. चतरा	बैंक ऑफ इंडिया
			3. देवघर	भारतीय स्टेट बैंक
			4. धनबाद	बैंक ऑफ इंडिया
			5. दुमका	इलाहाबाद बैंक
			6. पूर्वी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया
			7. गढ़वा	भारतीय स्टेट बैंक
			8. गिरिडीह	बैंक ऑफ इंडिया
			9. गोड्डा	इलाहाबाद बैंक
			10. गुमला	बैंक ऑफ इंडिया
			11. हजारीबाग	बैंक ऑफ इंडिया
			12. जामताड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			13. खूंटी	बैंक ऑफ इंडिया
			14. कोडरमा	बैंक ऑफ इंडिया
			15. लेतेहर	भारतीय स्टेट बैंक

			16. लोहरदगा	बैंक ऑफ इंडिया
			17. पाकुर	भारतीय स्टेट बैंक
			18. पलामू	भारतीय स्टेट बैंक
			19. रामगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
			20. रांची	बैंक ऑफ इंडिया
			21. साहिबगंज	भारतीय स्टेट बैंक
			22. सराईकेला - खरसवन	बैंक ऑफ इंडिया
			23. सिमडेगा	बैंक ऑफ इंडिया
			24. पश्चिमी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया
12	कर्नाटक	<u>सिंडिकेट बैंक</u>	1. बागलकोट	सिंडिकेट बैंक
			2. बंगलुरू (ग्रामीण)	केनरा बैंक
			3. बंगलुरू (शहरी)	केनरा बैंक
			4. बेलगाम	सिंडिकेट बैंक
			5. बेल्लारी	सिंडिकेट बैंक
			6. बीदर	भारतीय स्टेट बैंक
			7. बीजापुर	सिंडिकेट बैंक
			8. चामराजनगर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
			9. चिकबल्लापुर	केनरा बैंक
			10. चिकमंगलूर	कारपोरेशन बैंक
			11. चित्रदुर्गा	केनरा बैंक
			12. दक्षिण केनरा	सिंडिकेट बैंक
			13. दावणगिरी	केनरा बैंक
			14. धारवाड़	विजया बैंक
			15. गदग	भारतीय स्टेट बैंक
			16. गुलबर्गा	भारतीय स्टेट बैंक
			17. हासन	केनरा बैंक
			18. हावेरी	विजया बैंक
			19. कोडागू	कारपोरेशन बैंक
			20. कोलार	केनरा बैंक
			21. कोप्पल	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			22. मंड्या	विजया बैंक
			23. मैसूर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
			24. रायचुर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			25. रामनगर	कारपोरेशन बैंक
			26. शिमोगा	केनरा बैंक

			27. टुमकुर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
			28. उडुपी	सिंडिकेट बैंक
			29. उत्तरी केनरा	सिंडिकेट बैंक
			30. यादगीर	भारतीय स्टेट बैंक
13	केरल	केनरा बैंक	1. अलाप्पुझा	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
			2. एर्नाकुलम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			3. इडुक्की	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			4. कन्नूर	सिंडिकेट बैंक
			5. कासारगोड	सिंडिकेट बैंक
			6. कोल्लम	इंडियन बैंक
			7. कोट्टायम	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
			8. कोझीकोडे	केनरा बैंक
			9. मल्लपुरम	केनरा बैंक
			10. पालाक्कड	केनरा बैंक
			11. पथानामथिट्टा	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
			12. त्रिसुर	केनरा बैंक
			13. तिरुवनंतपुरम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			14 वायनाड (कलेपेट्टा)	केनरा बैंक
14	मध्य प्रदेश	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1. अग्र-मालवा	बैंक ऑफ इंडिया
			2. अलीराजपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			3. अनुपपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. अशोकनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			5. बालाघाट	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			6. बदवानी	बैंक ऑफ इंडिया
			7. बैतूल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			8. भिंड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			9. भोपाल	बैंक ऑफ इंडिया
			10. बुरहानपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			11. छतरपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			12. छिंदवाड़ा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			13. दमोह	भारतीय स्टेट बैंक
			14. दातिया	पंजाब नेशनल बैंक
			15. देवास	बैंक ऑफ इंडिया
			16. धार	बैंक ऑफ इंडिया
			17. डिंडोरी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

			18. पूर्वी निमाड़ (खांडवा)	बैंक ऑफ इंडिया
			19. गुना	भारतीय स्टेट बैंक
			20. ग्वालियर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			21. हरदा	भारतीय स्टेट बैंक
			22 होशंगाबाद	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			23. इंदौर	बैंक ऑफ इंडिया
			24. जबलपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			25. झाबुआ	बैंक ऑफ बड़ौदा
			26. कटनी	भारतीय स्टेट बैंक
			27. मंडला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			28. मंदसौर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			29. मुरैना	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			30. नरसिंहपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			31. नीमच	भारतीय स्टेट बैंक
			32. पन्ना	भारतीय स्टेट बैंक
			33. रायसेन	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			34. राजगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
			35. रतलाम	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			36. रीवा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			37. सागर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			38. सतना	इलाहाबाद बैंक
			39. सिवनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			40. शाहडोल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			41. शाजापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			42. श्योपुर कला	भारतीय स्टेट बैंक
			43. शिवपुरी	भारतीय स्टेट बैंक
			44. सीधी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			45. सिहोर	बैंक ऑफ इंडिया
			46. सिंगरौली	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			47. टीकमगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			48. उज्जैन	बैंक ऑफ इंडिया
			49. उमरिया	भारतीय स्टेट बैंक
			50. विदिशा	भारतीय स्टेट बैंक
			51. पश्चिमी निमाड़ (खरगोन)	बैंक ऑफ इंडिया

15	महाराष्ट्र	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1. अहमदनगर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			2. अकोला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			3. अमरावती	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. औरंगाबाद	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			5. बीड	भारतीय स्टेट बैंक
			6. भंडारा	बैंक ऑफ इंडिया
			7. बुलढाणा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			8. चंद्रपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			9. धुले	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. गडचिरोली	बैंक ऑफ इंडिया
			11. गोंदिया	बैंक ऑफ इंडिया
			12. हिंगोली	भारतीय स्टेट बैंक
			13. जलगांव	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			14. जालना	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			15. कोल्हापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			16. लातुर	भारतीय स्टेट बैंक
			17. मुंबई	बैंक ऑफ इंडिया
			18. मुंबई उपनगरीय	बैंक ऑफ इंडिया
			19. नागपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			20. नांदेड	भारतीय स्टेट बैंक
			21. नंदुरबार	भारतीय स्टेट बैंक
			22. नाशिक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			23. उस्मानाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			24. परभणी	भारतीय स्टेट बैंक
			25. पालघर	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			26. पुणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			27. रायगड	बैंक ऑफ इंडिया
			28. रत्नागिरी	बैंक ऑफ इंडिया
			29. सांगली	बैंक ऑफ इंडिया
			30. सातारा	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			31. सिंधुदुर्ग	बैंक ऑफ इंडिया
			32. सोलापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			33. ठाणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			34. वर्धा	बैंक ऑफ इंडिया
			35. वाशिम	भारतीय स्टेट बैंक
			36. यवतमाल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

16	मणिपुर	भारतीय स्टेट बैंक	1. बिश्नुपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			2. चंदेल	भारतीय स्टेट बैंक
			3. चुराचांदपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			4. इम्फाल ईस्ट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. इम्फाल वेस्ट	भारतीय स्टेट बैंक
			6. सेनापति	भारतीय स्टेट बैंक
			7. तेमेंगलोंग	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			8. थोबल	भारतीय स्टेट बैंक
			9. उखरूल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
17	मेघालय	भारतीय स्टेट बैंक	1. पूर्वी गारो पहाड़ियां	भारतीय स्टेट बैंक
			2. पूर्व जैन्तियां हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			3. पूर्वी खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			4. जैन्तियां हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			5. उत्तरी गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			6. री भोई	भारतीय स्टेट बैंक
			7. दक्षिणी गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			8. दक्षिणी पश्चिम गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दक्षिण पश्चिमी खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			10. पश्चिमी गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			11. पश्चिमी खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
18	मिज़ोरम	भारतीय स्टेट बैंक	1. ऐजवाल	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चम्फाई	भारतीय स्टेट बैंक
			3. छिम्तुइपुई सइहा	भारतीय स्टेट बैंक
			4. कोलसिब	भारतीय स्टेट बैंक
			5. लांग्तलाई	भारतीय स्टेट बैंक
			6. लुंगलेई	भारतीय स्टेट बैंक
			7. मामित	भारतीय स्टेट बैंक
			8. सेरछिप	भारतीय स्टेट बैंक
19	नागालैंड	भारतीय स्टेट बैंक	1. दीमापुर	भारतीय स्टेट बैंक
			2. खिफिर	भारतीय स्टेट बैंक
			3. कोहिमा	भारतीय स्टेट बैंक

			4. लोंगलेंग	भारतीय स्टेट बैंक
			5. मोकोकचुंग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. मोन	भारतीय स्टेट बैंक
			7. पेरेन	भारतीय स्टेट बैंक
			8. फेक	भारतीय स्टेट बैंक
			9. तुएनसांग	भारतीय स्टेट बैंक
			10. वोखा	भारतीय स्टेट बैंक
			11. जुन्हेबोतो	भारतीय स्टेट बैंक
20	ओड़िशा	यूको बैंक	1. अंगुल	यूको बैंक
			2. बालासोर	यूको बैंक
			3. बदगाह	भारतीय स्टेट बैंक
			4. भद्रक	यूको बैंक
			5. बोलंगीर (बोलांगीर)	भारतीय स्टेट बैंक
			6. बौध	भारतीय स्टेट बैंक
			7. भोग-कंधमाल	भारतीय स्टेट बैंक
			8. कटक	यूको बैंक
			9. देवगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			10. धैंकनाल	यूको बैंक
			11. गजपति	आंध्र बैंक
			12. गंजम	आंध्र बैंक
			13. जगतसिंहपुर	यूको बैंक
			14. जजपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			15. झारसुगुडा	भारतीय स्टेट बैंक
			16. कालाहांडी	भारतीय स्टेट बैंक
			17. केंद्रपाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			18. क्योंझर	बैंक ऑफ इंडिया
			19. खोर्दा	भारतीय स्टेट बैंक
			20. कोरापुट	भारतीय स्टेट बैंक
			21. माल्कनगिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			22. मयुरभंज	बैंक ऑफ इंडिया
			23. नारंगपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			24. नौपाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			25. नयागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			26. पूरी	यूको बैंक
			27. रायगढ़	भारतीय स्टेट बैंक

			28. सम्बलपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			29. सोनपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			30. सुंदरगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
21	पंजाब	पंजाब नेशनल बैंक	1. अमृतसर	पंजाब नेशनल बैंक
			2. बरनाला	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला
			3. भटिंडा	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला
			4. फरिदा कोट	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			5. फतेहगढ़ साहिब	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला
			6. फाजिल्का	पंजाब नेशनल बैंक
			7. फिरोजपुर	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
			8. गुरदासपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			9. होशियारपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			10. जालंधर	यूको बैंक
			11. कपुरथला	पंजाब नेशनल बैंक
			12. लुधियाना	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			13. मानसा	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला
			14. मोगा	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			15. मुक्तसर	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला
			16. नवानशहर	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			17. पठाणकोट	पंजाब नेशनल बैंक
			18. पतियाला	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला
			19. रोपड़	यूको बैंक
			20. साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)	पंजाब नेशनल बैंक
			21. संगरूर	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला
			22. तरण तारण	पंजाब नेशनल बैंक
22	राजस्थान	बैंक ऑफ बड़ौदा 0	1. अजमेर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			2. अलवर	पंजाब नेशनल बैंक
			3. बंसवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. बारां	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			5. बाड़मेर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			6. भरतपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			7. भिलवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. बिकानेर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर

				एण्ड जयपुर
			9. बूंदी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			10. चितोडगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			11. चुरू	बैंक ऑफ बड़ौदा
			12. दौसा	यूको बैंक
			13. ढोलपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			14. डुंगरपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			15. हनुमानगढ़	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			16. जयपुर	यूको बैंक
			17.जैसलमेर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			18. जालोर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			19. झालावाड़	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			20. झुंझनु	बैंक ऑफ बड़ौदा
			21. जोधपुर	यूको बैंक
			22. किरौली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			23. कोटा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			24. नागपुर	यूको बैंक
			25. पाली	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			26. प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			27. राजसमंद	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			28.सवाई माधोपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			29. सीकर	पंजाब नेशनल बैंक
			30. सीरोही	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
			31. श्री गंगानगर	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
			32. टोंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
			33. उदयपुर	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर
23	सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक	1. पूर्व सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			2. उत्तर सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक

			3. दक्षिण सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			4. पश्चिम सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
24	तमिलनाडु	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	1. अरियालुर	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चैनै	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			3. कोईम्बतूर	केनरा बैंक
			4. कड्डालोर	इंडियन बैंक
			5. धर्मपुरी	इंडियन बैंक
			6. डिंडीगुल	केनरा बैंक
			7. इरोड	केनरा बैंक
			8. कांचीपुरम	इंडियन बैंक
			9. कन्याकुमारी	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			10. करूर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			11. कृष्णगीरी	इंडियन बैंक
			12. मदुराई	केनरा बैंक
			13. नागापट्टनम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			14. नमक्कल	इंडियन बैंक
			15. नीलगीरी	केनरा बैंक
			16. पेरंबलुर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			17. पुदुकोट्टाई	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			18. रामनाथपुरम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			19. सेलेम	इंडियन बैंक
			20. शिवगंगा	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			21. तंजावुर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			22. थेनी	केनरा बैंक
			23. तिरुचिरापल्ली	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			24. तिरूनलवेल्ली	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			25. तिरुप्पूर	केनरा बैंक
			26. तिरुवल्लुर	इंडियन बैंक
			27. तिरूवन्नमलै	इंडियन बैंक
			28. तिरूवरूर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			29. तुतीकोरिन	भारतीय स्टेट बैंक
			30. वेल्लौर	इंडियन बैंक
			31. विलुप्पुरम	इंडियन बैंक
			32. विरुधनगर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
25	तेलंगाना	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1. अदिलाबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			2. हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

			3. करीमनगर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			4. खम्मम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			5. मेहबूबनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			6. मेडक	भारतीय स्टेट बैंक
			7. नलगोंडा	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			8. निज़ामाबाद	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			9. रंगा रेड्डी	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
			10. वारंगल	भारतीय स्टेट बैंक
26	त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1. धालाई	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			2. गोमती	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			3. खोवाई	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			4. उत्तर त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. सिपाहजाला	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			6. दक्षिण त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			7. उनाकोटी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			8. पश्चिम त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
27	उत्तराखंड	भारतीय स्टेट बैंक	1. अलमोड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. बागेश्वर	भारतीय स्टेट बैंक
			3. चमोली	भारतीय स्टेट बैंक
			4. चंपावत	भारतीय स्टेट बैंक
			5. देहरादून	पंजाब नेशनल बैंक
			6. हरिद्वार	पंजाब नेशनल बैंक
			7. नैनीताल	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. पौड़ी गढ़वाल	भारतीय स्टेट बैंक
			9. पिथोरागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			10. रुद्रप्रयाग	भारतीय स्टेट बैंक
			11. टिहरी गढ़वाल (नई टिहरी)	भारतीय स्टेट बैंक
			12.उधम सिंह नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			13.उत्तर काशी	भारतीय स्टेट बैंक
28	उत्तर प्रदेश	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. आगरा	केनरा बैंक
			2. अलिगढ़	केनरा बैंक
			3. इलाहाबाद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. आंबेडकर नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			5 औरैया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			6. आजमगढ़	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

			7. बागपत	सिंडिकेट बैंक
			8. बहराइच	इलाहाबाद बैंक
			9. बालिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. बलरामपुर	इलाहाबाद बैंक
			11. बांदा	इलाहाबाद बैंक
			12. बाराबंकी	बैंक ऑफ इंडिया
			13. बरेली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			14. बस्ती	भारतीय स्टेट बैंक
			15. भीम नगर	सिंडिकेट बैंक
			16. बिजनौर	पंजाब नेशनल बैंक
			17. बदायूं	पंजाब नेशनल बैंक
			18. बुलंदशहर	पंजाब नेशनल बैंक
			19. चंडौली	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			20. छत्रपती शाहूजी महाराज नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			21. चित्रकूट	इलाहाबाद बैंक
			22. देवरिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			23. ईटा	केनरा बैंक
			24. इटावा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			25. फैजाबाद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			26. फर्रुखाबाद	बैंक ऑफ इंडिया
			27. फतेहपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			28. फिरोज़ाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			29. गौतम बुद्ध नगर	सिंडिकेट बैंक
			30. गाज़ियाबाद	सिंडिकेट बैंक
			31. गाज़ीपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			32. गोंदा	इलाहाबाद बैंक
			33. गोरखपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			34. हमीरपुर	इलाहाबाद बैंक
			35. हरदोई	बैंक ऑफ इंडिया
			36. जालौन	इलाहाबाद बैंक
			37. जौनपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			38. झांसी	पंजाब नेशनल बैंक
			39. ज्योतिबा फुले नगर (अमरोह)	सिंडिकेट बैंक

			40. कनौज़	बैंक ऑफ इंडिया
			41. कानपुर देहात - ग्रामीण	बैंक ऑफ बड़ौदा
			42. कानपुर नगर - शहरी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			43. कांसी राम नगर (कासनगंज)	केनरा बैंक
			44. कौशाम्बी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			45.कुशी नगर (पद्रौना)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			46. लखीमपुर - खेरी	इलाहाबाद बैंक
			47. ललितपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			48. लखनऊ	बैंक ऑफ इंडिया
			49. महामाया नगर (हाथरस)	केनरा बैंक
			50. महाराजगंज	भारतीय स्टेट बैंक
			51. माहोबा	इलाहाबाद बैंक
			52. मैनपुरी	बैंक ऑफ इंडिया
			53. मथुरा	सिंडिकेट बैंक
			54. मऊ (मउ नाथ बहंजन)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			55. मेरठ	सिंडिकेट बैंक
			56. मिर्जापुर	इलाहाबाद बैंक
			57. मोरादाबाद	सिंडिकेट बैंक
			58. मुज़फ्फरनगर	पंजाब नेशनल बैंक
			59. पंचशील नगर	सिंडिकेट बैंक
			60. पिलीभित	बैंक ऑफ बड़ौदा
			61. प्रबुध नगर (श्यामली)	पंजाब नेशनल बैंक
			62. प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			63. राय बरेली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			64. रामपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			65. सहरानपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			66.संत कबीर नगर	भारतीय स्टेट बैंक
			67. संत रवीदास नगर (भदोही)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			68. शहाजानपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा

			69. श्रावस्ती	इलाहाबाद बैंक
			70. सिद्धार्थ नगर	भारतीय स्टेट बैंक
			71. सीतापुर	इलाहाबाद बैंक
			72. सोनभद्र	इलाहाबाद बैंक
			73. सुलतानपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			74. उन्नाव	बैंक ऑफ इंडिया
			75. वाराणसी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
29	पश्चिम बंगाल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1. अलीपुरदुआर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			2. बांकुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			3. वीरभूम	यूको बैंक
			4. बर्दवान	यूको बैंक
			5. कूच बिहार	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			6. दक्षिण दिनाजपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			7. दार्जिलिंग	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			8. हुगली	यूको बैंक
			9. हावड़ा	यूको बैंक
			10. जलपईगुड़ी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			11. कोलकाता	भारतीय स्टेट बैंक
			12. मालदा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			13. मुर्शिदाबाद	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			14. नडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			15. उत्तर 24 परगणा	इलाहाबाद बैंक
			16. पश्चिम मदिनापुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			17. पूर्व मदिनापुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			18. पुरुलिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			19. दक्षिण 24 परगणा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			20. उत्तर दिनाजपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
30	अंडमान और निकोबार आयलंड	भारतीय स्टेट बैंक	1. निकोबार द्वीपसमूह	भारतीय स्टेट बैंक
			2. उत्तर और मध्य अंडमान	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दक्षिण अंडमान	भारतीय स्टेट बैंक
31	चंडीगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	1. चंडीगढ़ (ग्रामीण)	पंजाब नेशनल बैंक
32	दादरा नगर हवेली	देना बैंक	1. दादरा नगर हवेली	देना बैंक
33	दमण और दीव	देना बैंक	1. दमण	भारतीय स्टेट बैंक

			2. दीव	भारतीय स्टेट बैंक
34	दिल्ली	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1. सेंट्रल दिल्ली	केनरा बैंक
			2. पूर्व दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			3. नई दिल्ली	केनरा बैंक
			4. उत्तर दिल्ली	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
			5. उत्तर-पूर्व दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			6. उत्तर पश्चिम दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			7. शाहदरा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. दक्षिण दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दक्षिण पूर्व दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			10. दक्षिण पश्चिम दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			11. पश्चिम दिल्ली	केनरा बैंक
35	लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक	1. लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक
36	पुदुचेरी	इंडियन बैंक	1. पुदुचेरी	इंडियन बैंक

अनुबंध II

एसएलबीसी वेबसाइट - विषयवस्तु की निदर्शी सूची

मुख्य मेनू	उप मेनू	विषयवस्तु	अनुबंध
हमारे बारे में	**पृष्ठभूमि**	राज्य के विकास और उसके कामकाज के लिए एक समन्वयकारी मंच के रूप में एसएलबीसी - संक्षिप्त लेख	
	एसएलबीसी -सदस्य	एसएलबीसी सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण	**II-1**
राज्य प्रोफाइल	**भौगोलिक मानचित्र**	संबंधित जिले का नाम क्लिक करने पर जिले के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए इतनी के रूप में प्रत्येक जिले के साथ एनआईसी पोर्टल पर भारत सरकार की संबंधित जिले की वेबसाइट सहबद्ध की जाए	
	बुनियादी सुविधाएं	बिजली, परिवहन, सड़क और रेल आदि	
	कृषि	खेती के रकबे, फसल पद्धति, सिंचाई सुविधाओं, कृषि यंत्रीकरण, संबद्ध गतिविधियां, डेयरी, मत्स्य पालन, फलोद्यान, बागवानी आदि,	
	उद्योग	औद्योगीकरण, एमएसई की स्थिति, एमएसई की रुग्णता की स्थिति, कारण, पुनर्वास	
	बैंकिंग	प्रत्येक जिलों के कुल गांवों की तुलना में बैंकिंग सुविधायुक्त गांवों की स्थिति	**II-2**
एसएलबीसी - बैठकें	**बैठकों का कैलेंडर**	चालू कैलेंडर वर्ष के लिए एसएलबीसी बैठकों का कार्यक्रम	**II-3**
	एसएलबीसी - की गई बैठकें	एजेंडा और कार्यविवरण के साथ आयोजित एसएलबीसी की बैठकों के ब्यौरे	**II-4**
अग्रणी बैंक योजना	**अग्रणी बैंक - जिला वार**	एलडीम के नाम और संपर्क विवरण के साथ अग्रणी बैंकों के ब्यौरे	**II-5**
	एसीपी-लक्ष्य	वार्षिक ऋण योजना - वर्ष के लिए लक्ष्य	**II-6**
	एसीपी-उपलब्धि	वार्षिक ऋण योजना - सेक्टरवार उपलब्धि	**II-7**
	सीडी अनुपात	सीडी अनुपात की जिलावार स्थिति	**II-8**
सरकार प्रायोजित कार्यक्रम	**केंद्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रम**	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण। केन्द्र सरकार प्रायोजित योजना को आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों से जोड़ा जाना है।	
	राज्य सरकार प्रायोजित कार्यक्रम	राज्य सरकार प्रायोजित प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण	
बैंकिंग नेटवर्क	**बैंकिंग नेटवर्क-सारांश**	शाखाओं, बीसी और अन्य माध्यमों के रूप में पृथक की गई बैंकिंग आउटलेटों की संख्या की बैंकवार स्थिति	**II-9**
	बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं - ब्योरे	सभी शाखाओं के जिलावार विवरण	**II-10**
	बैंकिंग आउटलेटों -	सभी बीसी आउटलेटों का जिलावार विवरण	**II-11**

	बीसी-ब्योरे		
	बैंकिंग आउटलेट-अन्य माध्यम - ब्योरे	अन्य माध्यम से बैंकिंग आउटलेट का जिलावार विवरण	**II-12**
वित्तीय समावेशन	**एसएचजी बैंक सहबद्धता**	बचत और ऋण सहबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या की बैंकवार स्थिति	**II-13**
	एफएलसी	एफएलसी की जिलावार स्थिति	**II-14**
	आरसेटी	आरसेटी की जिलावार स्थिति	**II-15**
डाटा प्रस्तुत करना	**वेब आधारित इंटरफेस**	लीड बैंकों और बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों द्वारा एसएलबीसी को डेटा प्रस्तुत करना	
लिंक	**वेबसाइट से सहबद्ध**	भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकार, भारतीय बैंक संघ, बैंकिंग लोकपाल, बैंकों और अन्य संबंधित वेबसाइटों के लिए लिंक	

अनुबंध II-1

एसएलबीसी - सदस्य सूची							
----- को अद्यतित							
क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**संगठन**	**संपर्क के ब्योरे**			**टिप्पणियां**
				फोन	**ई-मेल**	**पता**	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

अनुबंध II-2

बैंकिंग सेवाएं - शामिल गांव							
----- को समाप्त तिमाही							
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**जिला कूट सं. (बीएसआर)**	**गांवों की कुल संख्या**		**बैंकिंग आउटलेट युक्त गांवों की संख्या (बीआर/बीसी/अन्य)**		**टिप्पणियां**
1			>2000	<2000	>2000	<2000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
	जोड़						

अनुबंध II-3

एसएलबीसी - कैलेण्डर वर्ष ------- के लिए बैठकों का कैलेंडर				
क्र.सं.	**वर्ष**	**तिमाही**	**बैठक की नियत तारीख**	**टिप्पणियां**
1			दिन.माह.वर्ष	
2				
3				
4				

अनुबंध II-4

एसएलबीसी - आयोजित बैठकों के ब्योरे									
क्र.सं.	**एसएलबीसी बैठक सं. ***	**बैठक की तारीख - कार्यसूची सहबद्ध**	**उपस्थित सदस्य (नाम और पदनाम)**				**बैठक के कार्यविवरण**	**कैलेण्डर के अनुसार बैठक की नियत तारीख**	**टिप्पणियां**
			भारिबैं	संयोजक बैंक	भारत सरकार	राज्य सरकार	कार्यविवरण		
1		दिन.माह.वर्ष					कार्यविवरण	दिन.माह.वर्ष	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

* अप्रैल 2010 के बाद हुई एसएलबीसी बैठकें

अनुबंध II-5

अग्रणी बैंकों के ब्यौरे									
---------- को समाप्त तिमाही									
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**जिला कूट (बीएस आर)**	**अग्रणी बैंक का नाम**	**एलडीएम का नाम**	**पदनाम**	**संपर्क ब्यौरे**			**टिप्पणियां**
						फोन	**ई-मेल**	**पता**	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

अनुबंध II-6

वार्षिक क्रेडिट प्लान - वर्ष-------- के लिए लक्ष्य												
जिला का नाम											(राशि हजार रुपए में)	
क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**कृषि**	**एम एसई**	**निर्यात ऋण**	**शिक्षा**	**आवास**	**सामाजिक मूलभूत संरचना**	**नवीकरणीय ऊर्जा**	**अन्य**	**प्राथमिकता प्राप्त-उप जोड़**	**गैर प्राथमिकता प्राप्त**	**जोड़**
1												
2												
3												
4												
5												
6												
	वाणिज्यिक बैंक-उप जोड़											
1												
2												
3												
	क्षेग्राबैं -उप जोड़											
1												
2												
3												
4												
5												
	सहकारी बैंक -उप जोड़											
	समस्त बैंक -जोड़											

अनुबंध II-7

वार्षिक क्रेडिट प्लान - उपलब्धि												
---------- को समाप्त तिमाही												(राशि हजार रुपए में)
क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**कृषि**	**एम एसई**	**निर्यात ऋण**	**शिक्षा**	**आवास**	**सामाजिक मूलभूत संरचना**	**नवीकरणीय ऊर्जा**	**अन्य**	**प्राथमिकता प्राप्त-उप जोड़**	**गैर प्राथमिकता प्राप्त**	**जोड़**
1												
2												
3												
4												
5												
6												
	वाणिज्यिक बैंक-उप जोड़											
1												
2												
3												
	क्षेग्राबैं -उप जोड़											
1												
2												
3												
4												
5												
	सहकारी बैंक -उप जोड़											
	समस्त बैंक -जोड़											

अनुबंध II-8

ऋण जमा अनुपात						
------- को समाप्त तिमाही					(राशि हजार रुपए में)	
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**जिले की कूट सं.**	**जमाराशियां**	**ऋण**	**सीडी अनुपात**	**टिप्पणियां**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

अनुबंध II-9

बैंकिंग नेटवर्क - सारांश						
---------- को समाप्त तिमाही						
क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**बैंकिंग आउटलेटों की संख्या**				**टिप्पणियां**
1		शाखा	बीसी	अन्य माध्यम	जोड़	
2						
3						
4						
5						
6						
	वाणिज्यिक बैंक - उप जोड़					
1						
2						
3						
	क्षेग्राबैं - उप जोड़					
1						
2						
3						
4						
5						
	सहकारी बैंक - उप जोड़					
	समस्त बैंक - जोड़					

अनुबंध II-10

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - शाखाएं											
----- को समाप्त तिमाही											
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**जिला कोड (बीएस आर)**	**ब्लॉक**	**बस्ती / गांव**	**आबादी वर्गीकरण(एम/ यू/एसयू/आर)**	**बैंक का नाम**	**शाखा का नाम**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क के ब्यौरे**	**पता**	**टिप्पणियां**
1								दिन. माह.वर्ष			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

अनुबंध II-11

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - बीसी										
----- को समाप्त तिमाही										
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**ब्लॉक**	**बस्ती/गांव**	**आबादी वर्गीकरण (एम/यू/एसयू/आर)**	**बैंक का नाम**	**आधारभूत शाखा का नाम**	**बीसी आउटलेट खोलने की तारीख**	**सीएसपी का नाम**	**सीएसपी का टेलीफोन नं.**	**टिप्पणियां**
1							दिन.माह.वर्ष			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

अनुबंध II-12

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - अन्य माध्यम										
----- को समाप्त तिमाही										
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**ब्लॉक**	**बस्ती/गांव**	**आबादी वर्गीकरण (एम/यू/एसयू/आर)**	**बैंक का नाम**	**माध्यम का प्रकार निर्दिष्ट करें(ग्रामीण/ एटीएम/ मोबाईल वैन/अन्य)**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क अधिकारी का नाम**	**संपर्क अधिकारी का टेलीफोन नं.**	**टिप्पणियां**
1							दिन.माह.वर्ष			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

अनुबंध II-13

एसएचजी बैंक सहलग्नता कार्यक्रम					
---------- को समाप्त तिमाही				(संख्या वास्तविक, राशि हजार रुपए में)	
क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**बचत सम्बद्ध**		**ऋण सम्बद्ध**	
		एसएचजी की संख्या	बकाया राशि	एसएचजी की संख्या	बकाया राशि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	वाणिज्यिक बैंक - उप जोड़				
1					
2					
3					
	क्षेग्राबैं - उप जोड़				
1					
2					
3					
4					
5					
	सहकारी बैंक - उप जोड़				
	समस्त बैंक - जोड़				

अनुबंध II-14

एफएलसी की स्थिति									
---------- को समाप्त तिमाही									
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**एफएलसी का स्थान**	**प्रायोजक बैंक**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क अधिकार का नाम**	**संपर्क ब्यौरे**			**टिप्पणियां**
1						**फोन**	**ई-मेल**	**पता**	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

अनुबंध II-15

आरसेटी की स्थिति									
---------- को समाप्त तिमाही									
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**आरसेटी का स्थान**	**प्रायोजक बैंक**	**खोलने की तारीख**	**संपर्क अधिकारी का नाम**	**संपर्क ब्यौरे**			**टिप्पणियां**
1						**फोन**	**ई-मेल**	**पता**	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

अनुबंध III

तिमाही रिपोर्ट

2000 से कम आबादीवाले हर गांव में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करने के लिए रोडमैप --------को समाप्त तिमाही में प्रगति

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम :	**रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय का नाम :**

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**2000 से कम आबादी वाले गांवों में आबंटन के लिए चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम**	**आबंटित गांवों की संख्या**	**2000 से कम आबादीवाले गांवों के लिए तैयार किए गए रोडमैप में से उन गांवों की संख्या जहां *रिपोर्टिंग तिमाही के अंत तक* बैंकिंग आउट-लेट खोले गए**							
				शाखाएं	**बीसी**					**अन्य माध्यम**	**सकल जोड़ = 5+10+11**
					निर्धारित स्थान	**हर सप्ताह में दौरा (विजिट)**	**पखवाड़े मे एक बार दौरा (विजिट)**	**पखवाडे में एक से अधिक बार दौरा (विजिट)**	**बीसी-उप जोड़ = 6+7+8 +9**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
जोड़											

अनुबंध IV

एलबीएस - एमआईएस - I

--------- को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक क्रेडिट (ऋण) प्लान (एसीपी) के लक्ष्य दर्शानेवाला विवरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**एसीपी के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य**	
1	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र**	संख्या	राशि
1क	**कृषि = 1क(i)+1क(ii)+1क(iii)**		
1क (i)	कृषि ऋण		
1क(ii)	कृषि मूलभूत संरचना		
1क(iii)	अनुषंगी गतिविधियां		
1बी	**माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम = 1ख(i)+1ख(ii)+1ख(iii)+1ख(iv)+1ख(v)**		
1ख(i)	माइक्रो उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 5 करोड़ तक)		
1ख(ii)	लघु उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 5 करोड़ तक)		
1ख(iii)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 10 करोड़ तक)		
1ख(iv)	खादी और ग्रामोद्योग		
1ख(v)	एमएसएमई के तहत अन्य		
1ग	**निर्यात ऋण**		
1घ	**शिक्षा**		
1ड	**आवास**		
1च	**सामाजिक मूलभूत संरचना**		
1छ	**नवीकरणीय ऊर्जा**		
1ज	**अन्य**		
2	**उप जोड़ =1क+1ख+1ग+1घ+1ड+1च+1छ +1ज**		
3	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए ऋण**		
4	**गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र**		
4क	**कृषि**		
4ख	**माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (सेवा) = 4ख(i)+4ख(ii)+4ख(iii)**		
4ख(i)	माइक्रो, उद्यम (सेवा) (रु. 5 करोड़ से		

	अधिक अग्रिम)		
4ख(ii)	लघु उद्यम (सेवा) (रु. 5 करोड़ से अधिक अग्रिम)		
4ख(iii)	मध्यम उद्यम (सेवा) (रु. 10 करोड़ से अधिक अग्रिम)		
4ग	**शिक्षा**		
4घ	**आवास**		
4ङ	**गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण**		
4च	**अन्य**		
5	**उप जोड़=4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च**		
	जोड़=2+5		

टिप्पणी : डाटा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरुरत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

अनुबंध V

एलबीएस - एमआईएस -II

…….. समाप्त तिमाही के लिए संवितरण और बकाया दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम :

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**एसीपीके अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य**		**चालू तिमाही के अंत तक उपलब्धि (%)**	
1	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र**	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1क	**कृषि = 1क(i)+1क(ii)+1क(iii)**				
1क (i)	कृषि ऋण				
1क(ii)	कृषि मूलभूत संरचना				
1क(iii)	अनुषंगी गतिविधियां				
1बी	**माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम = 1ख(i)+1ख(ii)+1ख(iii)+1ख(iv)+1ख(v)**				
1ख(i)	माइक्रो उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 5 करोड़ तक)				
1ख(ii)	लघु उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 5 करोड़ तक)				
1ख(iii)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 10 करोड़ तक)				
1ख(iv)	खादी और ग्रामोद्योग				
1ख(v)	एमएसएमई के तहत अन्य				
1ग	**निर्यात ऋण**				
1घ	**शिक्षा**				
1ड	**आवास**				
1च	**सामाजिक मूलभूत संरचना**				
1छ	**नवीकरणीय ऊर्जा**				
1ज	**अन्य**				
2	**उप जोड़ =1क+1ख+1ग+1घ+1ड+1च+1छ +1ज**				
3	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए ऋण**				
4	**गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र**				
4क	**कृषि**				
4ख	**माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (सेवा) = 4ख(i)+4ख(ii)+4ख(iii)**				
4ख(i)	माइक्रो, उद्यम (सेवा) (रु. 5 करोड़ से				

	अधिक अग्रिम)				
4ख(ii)	लघु उद्यम (सेवा) (रु. 5 करोड़ से अधिक अग्रिम)				
4ख(iii)	मध्यम उद्यम (सेवा) (रु. 10 करोड़ से अधिक अग्रिम)				
4ग	**शिक्षा**				
4घ	**आवास**				
4ङ	**गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण**				
4च	**अन्य**				
5	**उप जोड़=4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च**				
	जोड़=2+5				

टिप्पणी *:* डाटा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरुरत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

अनुबंध VI

एलबीएस - एमआईएस - III

…….. समाप्त तिमाही के लिए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**एसीपीके अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य**		**चालू तिमाही के अंत तक उपलब्धि (%)**	
1	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र**	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1क	**कृषि = 1क(i)+1क(ii)+1क(iii)**				
1क (i)	कृषि ऋण				
1क(ii)	कृषि मूलभूत संरचना				
1क(iii)	अनुषंगी गतिविधियां				
1बी	**माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम = 1ख(i)+1ख(ii)+1ख(iii)+1ख(iv)+1ख(v)**				
1ख(i)	माइक्रो उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 5 करोड़ तक)				
1ख(ii)	लघु उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 5 करोड़ तक)				
1ख(iii)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण+सेवा अग्रिम रु. 10 करोड़ तक)				
1ख(iv)	खादी और ग्रामोद्योग				
1ख(v)	एमएसएमई के तहत अन्य				
1ग	**निर्यात ऋण**				
1घ	**शिक्षा**				
1ड	**आवास**				
1च	**सामाजिक मूलभूत संरचना**				
1छ	**नवीकरणीय ऊर्जा**				
1ज	**अन्य**				
2	**उप जोड़ =1क+1ख+1ग+1घ+1ड+1च+1छ +1ज**				
3	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए ऋण**				
4	**गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र**				
4क	**कृषि**				
4ख	**माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (सेवा) = 4ख(i)+4ख(ii)+4ख(iii)**				

4ख(i)	माइक्रो, उद्यम (सेवा) (रु. 5 करोड़ से अधिक अग्रिम)				
4ख(ii)	लघु उद्यम (सेवा) (रु. 5 करोड़ से अधिक अग्रिम)				
4ख(iii)	मध्यम उद्यम (सेवा) (रु. 10 करोड़ से अधिक अग्रिम)				
4ग	**शिक्षा**				
4घ	**आवास**				
4ङ	**गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण**				
4च	**अन्य**				
5	**उप जोड़=4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च**				
	जोड़=2+5				

टिप्पणी *:* डाटा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरुरत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंक,निजी क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	विसविवि.केंका.एलबीएस.सं. 5673/02.01.001/2015-16	20.05.2016	अग्रणी बैंक योजना - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआइएस) को मजबूत बनाना
2	विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17 /02.01.001/2015-16	14.01.2016	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक में सीडिंग आधार का लेखा-स्पष्टीकरण
3	विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.82/ 02.01.001/2015-16	31.12.2015	5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप
4	डीबीओडी मेलबाक्स स्पष्टीकरण	24.06.2015	बैंकों द्वारा ऋणों के लिए 'बेबाकी (अदेयता) प्रमाणपत्र' समाप्त करना- शहरी क्षेत्रों में प्रयोज्यता
5	एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 49/02.01.001/2014-15	28.01.2015	बैंकों द्वारा ऋणों के लिए 'बेबाकी (अदेयता) प्रमाणपत्र' समाप्त करना
6	एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 47/02.01.001/2014-15	02.01.2015	2000 से कम आबादीवाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
7	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.93 /02.01.001/2013-14	14.03.2014	वार्षिक ऋण योजना - नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए क्षमता संबद्ध प्लान (पीएलपी)
8	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11 /02.01.001/2013-14	09.07.2013	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - कार्यान्वयन - दिशानिर्देश
9	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.12 /02.01.001/2012-13	11.05.2013	अग्रणी बैंक योजना - महानगरीय केन्द्रों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
10	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.75 /02.01.001/2012-13	10.05.2013	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - कार्यान्वयन
11	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.68 /02.01.001/2012-13	19.03.2013	अग्रणी बैंक योजना - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआइएस) को मजबूत बनाना
12	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.86 /02.01.001/2011-12	19.06.2012	रोडमैप - 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
13	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.68 /02.01.001/2011-12	29.03.2012	एसएलबीसी की वेबसाइट - सूचना / डाटा का मानकीकरण
14	ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.67 /02.01.001/2011-12	20.03.2012	अग्रणी बैंक योजना - जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) - एमएसएमई - विकास संस्था (डीआई) के

			निदेशक को शामिल करना
15	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.60 /02.08.001/2011-12	17.02.2012	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समितियों (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों (एमपी) विधान सभा सदस्यों (एमएलए) / जिला पंचायत प्रमुखों जैसे जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना
16	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.74 /02.19.010/2010-11	30.05.2011	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) योजना और वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के अंतर्गत 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की रूपरेखा के अंतर्गत गांव आबंटित करने के मुद्दों का समाधान
17	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.44 /02.19.10/2010-11	29.12.2010	अग्रणी बैंक योजना - राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) बैठकों का आयोजन
18	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.एचएलसी. बीसी.सं.21/02.19.10/2010-11	16.09.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
19	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.15 /01.19.10/2010-11	26.07.2010	अग्रणी बैंक योजना - एसएलबीसी बैठकों का पुनरूद्धरण
20	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.57 /02.19.10/2009-10	02.03.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट - सिफरिशों का कार्यान्वयन - अग्रणी बैंक और एससीबी
21	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.57 /02.19.10/2010-11	26.02.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट -सिफरिशों का कार्यान्वयन - एसएलबीसी संयोजक बैंक
22	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.एचएलसी. बीसी.सं. 43/02.19.10/2009-10	27.11.2009	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
23	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 111/02.13.03/2008-09	02.06.2009	निर्यात संवर्द्धन के लिए एसएलबीसी की उप समिति
24	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.79 /02.01.01/2008-09	30.12.2008	एसएलबीसी बैठकों में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मामलों को शामिल करना
25	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.33 /02.18.02/2006-07	15.11.2006	अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करना

26	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20 /02.01.01/2006-07	30.08.2006	नो फ्रील खातो और जीसीसी जारी करते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन
27	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.52 /02.02.001/2005-06	06.12.2005	एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिज़नेस सेटर योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण - बैठकों में समीक्षा
28	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.50 /02.02.01/2005-06	06.12.2005	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में भाग लेना
29	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.47 /02.02.001/2005-06	09.11.2005	ऋण जमा अनुपात - ऋण जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल की सिफरिशों का कार्यान्वयन
30	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11 /02.02.001/2005-06	06.07.2005	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों / जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना- स्वयं सहायता समूहों के ऋण सहबद्धता कार्यक्रमों से संबंधित कार्य
31	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.93 /02.02.001/2004-05	11.04.2005	ग्रामीण उधार - नाबार्ड द्वारा तैयार की गयी क्षमता संबध्द योजनाओं (पीएलपी) पर आधारित वार्षिक ऋण योजनाएं
32	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.76 /02.02.001/2004-05	28.01.2005	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में निजी क्षेत्र बैंकों की सहभागिता
33	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.62 /02.02.001/2004-05	08.12.2004	ग्रामीण उधार - सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण - समीक्षा- एसएए में छूट
34	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.5 /02.02.001/2004-05	16.07.2004	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता
35	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.56 /02.02.001/2003-04	20.12.2003	आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रवाह
36	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14 /02.01.001/2003-04	29.07.2003	डीएलआरसी बैठकें आयोजित करना - अग्रणी बैंकों द्वारा विलंब से रिपोर्टें प्रस्तुत करना
37	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.59 /02.01.001/2002-03	06.01.2003	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता
38	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 106/02.01.001/2001-02	14.06.2002	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता
39	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.85 /02.01.001/2000-01	09.05.2001	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभगिता

40	ग्राआक्रवि.कैंका.एलबीएस.बीसी.सं.81 /02.01.001/2000-01	27.04.2001	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करना - निगरानी
41	ग्राआक्रवि.एलबीएस.बीसी.सं.32 /02.01.01/2000-01	03.11.2000	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक करना
42	ग्राआक्रवि. सं.एलबीएस.बीसी. 86 /02.01.01/1996-97	16.12.1996	राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) में अनुसूचित जाती / अजजा के राष्ट्रीय आयोग को शामिल करना
43	ग्राआक्रवि. सं.एलबीएस.बीसी.13 /02.01.01/1996-97	19.07.1996	एसएलबीसी/डीसीसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग/बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
44	ग्राआक्रवि. सं.एलबीएस.बीसी.118 /02.01.01/1994-95	18.02.1995	ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
45	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.112 एलबीसी.34/88-89	28.04.1989	राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकें
46	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.12/65/ 88-89	11.08.1988	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण - ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति गठित करना
47	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.100/55 -87/88	22.04.1988	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान/वार्षिक कार्रवाई प्लान
48	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.87/65-87/88	14.03.1988	ग्रामीण उधार - बैंक शाखाओं का सेवा क्षेत्र
49	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.बीसी.69 एलबीएस/ सी.34-87/88	14.12.1987	राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) द्वारा कार्रवाई प्लान की समीक्षा
50	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.524/55-86/87	28.04.1987	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान -वार्षिक कार्रवाई प्लान तैयार करना
51	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.430/55 /86-87	03.03.1987	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान - चौथे दौर के लिए दिशानिर्देश
52	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.363/1-84	02.11.1984	बैंक शाखाओं के कार्यनिष्पादन बजटों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का एकीकरण
53	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.162/1-84	06.09.1984	बैंक शाखाओं के कार्यनिष्पादन बजटों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का एकीकरण
54	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.135/55-84	30.08.1984	अग्रणी बैंक योजना - 1985 के लिए वार्षिक कार्य योजना- तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश
55	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.96/1-84	18.01.1984	अग्रणी बैंक योजना - अग्रणी बैंक अधिकारी की नियुक्ति - जिला समन्वयक
56	ग्राआक्रवि.सं.एलबीएस.739/1-83	04.08.1983	अग्रणी बैंक योजना - के कार्य की समीक्षा के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें

57	ग्राआक्रवि.सं.3096/सी.517-82/83	13.04.1983	राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजकत्व
58	डीबीओडी.सं.बीपी.बी.बीसी.74/सी/ 462 (इ.9)-80	18.06.1980	ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
59	डीबीओडी.सं.टीईपी.20/सी.517-77	02.02.1977	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
60	डीबीओडी.सं.बीडी.2955/सी.168-70	11.08.1970	अग्रणी बैंक योजना
61	डीबीओडी. सं.बीडी.4327/सी.168-169	23.12.1969	शाखा विस्तार कार्यक्रम - अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत जिलों का आबंटन